AKSHANSH PUBLICATION

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित

लक्ष्य क्लासेज उदयपुर

राजस्थान पुलिस
कॉन्स्टेबल
भर्ती परीक्षा 2025 हेतु

विवेचना एवं तार्किक योग्यता | सामान्य गणित | महिला एवं बाल अपराध

भारत का सामान्य ज्ञान | राजस्थान का सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान | कम्प्यूटर

150/150

41 जिलों व 7 संभाग पर आधारित

आसान, सटीक एवं संपूर्ण अध्ययन अब एक ही पूस्तक से !

विशेषताएँ:

- सम्पूर्ण नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यसामग्री
- राजस्थान बोर्ड, NCERT और मानक बोर्ड पर आधारित पाठ्यसामग्री
- सारगर्भित प्रश्नोत्तरों का संकलन व नवीनतम आंकड़ों सहित
- आर्थिक समीक्षा एवं महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित पाठ्यसामग्री का समावेश

MRP : ₹990

S.NO. : LC0001

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur

श्री आनंद अग्रवाल
निदेशक
लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर

दो शब्द...

प्रिय विद्यार्थियों.........

आपके समक्ष कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा - 2025 हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की स्टडी गाइड पुस्तक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है। यह स्टडी गाइड राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है।

यह पुस्तक सम्पूर्ण नवीनतम पाठयक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसके तहत भारत का इतिहास, भारतीय राजव्यवस्था, भारत का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं कला-संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, विवेचना एवं तार्किक योग्यता, सामान्य गणित, महिलाओं और बच्चों के लिए कानून व योजनाएँ संबंधी विषयों की सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री दी गई है। साथ ही, इस पुस्तक में सभी अध्यायों के टॉपिक्स अनुसार महत्त्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। इस पुस्तक को विषय विशेषज्ञों ने अपने विशिष्ट अनुभव एवं कौशल से तैयार किया हैं। यह पुस्तक राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के प्रतिभागियों की आगामी परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाने और सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखी गई है, जिससे वे अपनी तैयारी के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार कर सकते हैं।

मार्गदर्शन- लक्ष्य क्लासेज के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के निर्देशन में।
पाठ्यसामग्री निर्माता- राजवर्धन बेगड़, गंगासिंह भाटी, जिज्ञासा गहलोत, निशांत सोलंकी और अनोपचंद मंडा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है।

लक्ष्य परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

आनंद अग्रवाल
निदेशक, लक्ष्य क्लासेज

लक्ष्य क्लासेस ने इस पुस्तक के तथ्यों तथा विवरणों को उचित स्त्रोतों से प्राप्त किया है। इस पुस्तक में प्रकाशित सभी प्रकार की सामग्री पूर्णतः तथ्यात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इस पुस्तक के किसी भी भाग और सामग्री को लक्ष्य क्लासेस की अनुमति और जानकारी के बिना अन्यत्र प्रकाशित या प्रिन्ट करना अनुचित है, यदि ऐसा पाया जाता है तो व्यक्ति या संस्थान स्वयं जिम्मेदार है।

विषय वस्तु

01 विवेचना एवं तार्किक योग्यता

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	संख्या & अक्षर श्रृंखला	1 – 7
2.	लुप्त संख्या	8 – 12
3.	कोडिंग-डिकोडिंग	13 – 21
4.	रक्त सम्बन्ध	22 – 28
5.	दिशा परीक्षण	29 – 36
6.	घड़ी परीक्षण	37 – 42
7.	कैलेण्डर	43 – 49
8.	सादृश्यता	50 – 56
9.	वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना	56 – 58
10.	वर्णमाला परीक्षण	59 – 63
11.	तार्किक वेन आरेख	64 - 68
12.	जल एवं दर्पण छवियाँ	69 – 73
13.	आकृतियों की गणना	73 – 78
14.	क्रम परीक्षण	79 – 83
15.	बैठक व्यवस्था एवं पहेली परीक्षण	84 – 88
16.	घन, घनाभ और पासा	89 – 96
17.	आयु परीक्षण	96 – 99
18.	विविध	100 – 103
19.	न्याय वाक्य	104 – 113
20.	कथन और निष्कर्ष	113 – 118
21.	कथन एवं तर्क	119 – 122
22.	कथन एवं कार्यवाही	123 – 126
23.	कथन एवं पूर्वधारणाएँ	127 – 129

02 सामान्य गणित

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य	131 – 136
2.	औसत	137 – 142
3.	लाभ-हानि	142 – 148
4.	प्रतिशत	149 – 154
5.	साधारण ब्याज	154 – 161
6.	चक्रवृद्धि ब्याज	162 – 169
7.	अनुपात-समानुपात	169 – 174

03 कम्प्यूटर

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	कम्प्यूटर का सामान्य परिचय	176 – 180
2.	इनपुट डिवाइस	180 – 183
3.	आउटपुट डिवाइस	184 – 187
4.	सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU)	187 - 189
5.	मैमोरी	190 – 194
6.	सॉफ्टवेयर	194 – 198
7.	एम. एस. वर्ड	198 – 204
8.	एम. एस. एक्सेल	205 – 216
9.	एम. एस. पावर पॉइन्ट	216 – 220
10.	इंटरनेट	220 – 223
11.	ऑपरेटिंग सिस्टम	224 – 227
12.	फाइल एवं फाइल सिस्टम	228 – 229
13.	अभ्यास प्रश्न	230 – 233

04 राजस्थान का इतिहास एवं कला-संस्कृति

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राचीन सभ्यताएं	235 – 244
2.	राजवंश	244 – 278
3.	स्वतन्त्रता आन्दोलन	278 – 292
4.	राजस्थान का एकीकरण	293 – 295
5.	महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व	295 - 300
6.	वास्तुकला एवं स्मारक	300 – 315
7.	मेले एवं त्योहार	315 – 318
8.	लोक कलाएँ	319 – 321
9.	लोक देवी - देवता	322 – 328
10.	लोक नृत्य एवं नाट्य	328 – 334
11.	लोक संगीत एवं वाद्ययंत्र	334 – 342
12.	भाषा एवं साहित्य	342 – 348
13.	वेशभूषा एवं आभूषण	348 – 355
14.	संस्कृति एवं सामाजिक जीवन	356 – 362

05 राजस्थान का भूगोल

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	स्थिति एवं विस्तार	364 – 366
2.	भौतिक स्वरूप एवं विभाजन	367 – 373
3.	जलवायु	374 – 379
4.	अपवाह तंत्र एवं झीलें	379 – 387
5.	सिंचाई परियोजनाएँ	387 – 391
6.	वन एवं वन्यजीव	391 – 396
7.	मृदा	397 – 398
8.	पर्यटन स्थल एवं परिवहन	399 – 404
9.	जनसंख्या	404 - 408

06 राजस्थान की राजव्यवस्था

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्यपाल	410 – 418
2.	मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्	418 – 424
3.	राज्य विधानसभा	425 – 433
4.	उच्च न्यायालय	433 – 437
5.	राज्य लोक सेवा आयोग	438 – 441
6.	राज्य निर्वाचन आयोग	441 – 443
7.	राज्य सूचना आयोग	443 - 445
8.	राज्य मानवाधिकार आयोग	445 – 447
9.	लोकायुक्त	448 – 450
10.	जिला प्रशासन	451 – 455
11.	पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन	456 – 466

07 राजस्थान की अर्थव्यवस्था

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	ग्रामीण विकास	468 – 471
2.	आर्थिक विकास	472 – 490
3.	विकास परियोजनाएँ	490 – 494
4.	कृषि क्षेत्र	494 – 500
5.	पशुपालन	500 - 502
6.	राज्य की अर्थव्यवस्था – विशेषताएँ, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ	503 – 504
7.	राज्य की आय	505 – 507
8.	राजस्थान बजट 2024-25	507 – 511

08 महिलाओं और बच्चों के लिए कानून व योजनाएँ

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय न्याय प्रणाली	513 – 516
2.	महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित योजनाएँ	516 – 527

09 सामान्य विज्ञान

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	मानव कार्यिकी	529 – 561
2.	मानव रोग एवं उपचार	561 – 566
3.	आहार एवं पोषण	567 – 577
4.	भौतिक व रासायनिक परिवर्तन	577 – 582
5.	धातु, अधातु एवं मिश्रधातु	582 – 585
6.	कार्बन एवं उसके यौगिक	585 – 589
7.	अम्ल, क्षार एवं लवण	589 – 595
8.	गति एवं बल	595 – 600
9.	प्रकाश	601 – 610
10.	विद्युत एवं विद्युत धारा	610 – 615
11.	तरंग एवं ध्वनि	615 – 617

10 भारत का इतिहास

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	सिंधु घाटी सभ्यता	619 – 624
2.	वैदिक सभ्यता	624 – 630
3.	जैन एवं बौद्ध धर्म	630 - 634
4.	महाजनपद काल	635 – 638
5.	मौर्य साम्राज्य	639 – 647
6.	गुप्त साम्राज्य	647 – 653
7.	गुप्तोत्तर काल	654 – 668
8.	वृहत्तर भारत	669 – 671
9.	भक्ति एवं सूफी आन्दोलन	672 – 680
10.	मुगल - राजपूत सम्बन्ध	680 – 690
11.	मुगल प्रशासन	691 – 694
12.	भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति	694 – 697
13.	1857 की क्रान्ति	697 – 701
14.	भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव	701 – 704
15.	पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार	705 – 711
16.	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन	711 – 725

11 भारतीय राजव्यवस्था

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	भारतीय संविधान का निर्माण	727 – 732
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएँ	732 – 735
3.	प्रस्तावना	736 – 738
4.	मौलिक अधिकार	739 – 745
5.	मूल कर्तव्य	746 – 747
6.	राज्य के नीति निदेशक तत्त्व	748 – 751
7.	संवैधानिक संशोधन	752 – 759
8.	राष्ट्रपति	760 – 764
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	765 – 768
10.	संसद	768 – 779
11.	उच्चतम न्यायालय	780 - 784
12.	निर्वाचन आयोग	784 – 786
13.	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक	787 – 788
14.	केन्द्रीय सूचना आयोग	788 – 790
15.	लोकपाल	791 – 792
16.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	793 – 794

12 भारत का भूगोल

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	स्थिति एवं विस्तार	796 – 798
2.	भौतिक स्वरूप	799 – 811
3.	जलवायु	812 – 817
4.	प्राकृतिक वनस्पति	818 – 821
5.	वन्यजीव	822 – 827
6.	बहुउद्देशीय परियोजना	827 – 830
7.	मृदा	831 – 835
8.	प्रमुख फसलें	836 – 841
9.	खनिज संसाधन	841 – 848
10.	प्रमुख उद्योग	849 – 854
11.	परिवहन	854 – 860
12.	भारत की जनसंख्या	861 – 866

13 राजस्थान की विविध जानकारी

क्र.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
*	राजस्थान की विविध जानकारी	867 – 872

विवेचना एवं तार्किक योग्यता

1 संख्या & अक्षर श्रृंखला

संख्या & अक्षर शृंखला (Number & Letter Series)

– इस अध्याय के अन्तर्गत प्रश्न में अंको अथवा अक्षरों (अंग्रेजी) की एक निश्चित श्रृंखला दी होती है जो एक विशेष नियमानुसार होती है हमें उस नियम का पता लगाकर ही अगली संख्या ज्ञात करनी होती है।

– श्रृंखला के प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें

1. गणितीय संक्रिया में काम आने वाली महत्वपूर्ण संख्याओं वर्ग संख्या, घन संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आदि को कण्ठस्थ याद रखे।

वर्ग संख्याएँ

$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$
$4^2 = 16$	$5^2 = 25$	$6^2 = 36$
$7^2 = 49$	$8^2 = 64$	$9^2 = 81$
$10^2 = 100$	$11^2 = 121$	$12^2 = 144$
$13^2 = 169$	$14^2 = 196$	$15^2 = 225$
$16^2 = 256$	$17^2 = 289$	$18^2 = 324$
$19^2 = 361$	$20^2 = 400$	$21^2 = 441$
$22^2 = 484$	$23^2 = 529$	$24^2 = 576$
$25^2 = 625$	$26^2 = 676$	$27^2 = 729$
$28^2 = 784$	$29^2 = 841$	$30^2 = 900$

घन संख्याएँ

$1^3 = 1$	$2^3 = 8$	$3^3 = 27$
$4^3 = 64$	$5^3 = 125$	$6^3 = 216$
$7^3 = 343$	$8^3 = 512$	$9^3 = 729$
$10^3 = 1000$	$11^3 = 1331$	$12^3 = 1728$

1. अभाज्य संख्या-ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वंय से भाज्य हो अभाज्य संख्या कहलाती है। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
2. श्रृंखला को हल करने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बल्कि इसका निरंतर अभ्यास ही आपको इस अध्याय पर मजबूत पकड़ बनाएगा।
3. प्रश्न की भाषा को समझकर प्रश्न को हल करने का प्रयास करे।
4. हमारे अनुभव के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतर के नियम का सर्वाधिक प्रयोग होता है अतः इस नियम का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

महत्वपूर्ण नियम

Rule of Gap (अंतर का नियम)

– इस नियम के अनुसार दिए गए प्रश्न में पहली और दूसरी संख्या का अंतर, दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर और आगे भी यही क्रम जारी रखते हुए अंतर की श्रृंखला का समूह ज्ञात करके उसी आधार पर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। इस नियम के उदाहरण अग्रांकित है

वर्णमाला श्रृंखला

– इसके अन्तर्गत दिए गए प्रश्न में अंग्रेजी वर्णों की एक निश्चित श्रृंखला दी जाती है अतः इस श्रृंखला में वर्णों को उनके वर्णमाला क्रमांक देकर अंकीय श्रृंखला बनाई जाती है और प्रश्न को हल किया जाता है।

अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला

– अंग्रेजी वर्णमाला 26 अक्षरों को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में क्रमित करके श्रेणी क्रम बनाया जाता है। वर्णमाला के अक्षरों की कोई न कोई एक निश्चित श्रेणी क्रम होती है।

अंग्रेजी वर्णमाला

अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थानीय क्रमांकित मान के साथ निरूपण								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
10	11	12	13	14	15	16	17	18
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
19	20	21	22	23	24	25	26	

अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
26	25	24	23	22	21	20	19	18
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
17	16	15	14	13	12	11	10	9
S	T	U	V	W	X	Y	Z	
8	7	6	5	4	3	2	1	

बड़े अक्षरों की शृंखला

– इस प्रकार की शृंखला के अंतर्गत कुछ अक्षर या अक्षर समूह एक निश्चित तरीके के आधार पर शृंखला के रूप में दिए होते हैं। इस शृंखला के एक या कुछ पद रिक्त होते है जिन्हें शृंखला के तरीके को ज्ञात करके करना होता है।

– इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको प्रत्येक अक्षर की वर्णमाला में स्थिति (Position) को याद कर लेना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णमाला के वृत्तीय अवधारणा का ख्याल रहे, यानि की Z के बाद फिर A,B,C, D शुरू हो जाएगा।

छोटे अक्षरों की शृंखला

– इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत अक्षरों की एक शृंखला दी गई होती है। इस प्रकार की शृंखला अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को विभिन्न तरीकों में आवर्तित करके बनायी जाती है जो बायीं ओर से दायीं ओर किसी विशेष क्रम में बदलते हैं। शृंखला में एक से अधिक रिक्त स्थान हो सकते हैं। परीक्षार्थी को यह ज्ञात करना होता है कि यदि अक्षर इसी क्रम में बदलते रहें तो रिक्त स्थानों पर कौन-से अक्षर होने चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर शृंखला को पूर्ण करना होता है।

(A) शृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह पुनरावृत्ति है।
(B) जब शृंखला में एक समान यह समूह की पुनरावृत्ति न हो बल्कि समूह के अन्तर किसी एक अक्षर की संख्या में लगातार वृद्धि होती जाए।
(C) शृंखला के प्रत्येक समूह में अलग-अलग अक्षरों की पुनरावृत्ति।
(D) शृंखला के अंतर्गत दो अक्षर समूहों का एकांतर में आना।

अभ्यास प्रश्न

निर्देश :- (1-12)

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंक शृंखला दी गई है, जिसमें एक या एक से अधिक पद लुप्त हैं, तब दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए-

1. 120, 99, 80, 63, 48, ?
(a) 35 (b) 38
(c) 39 (d) 40

2. 0, 6, 24, 60, 120, 210, ?
(a) 240 (b) 290
(c) 336 (d) 504

3. 4, 9, 25, ?, 121, 169, 289, 361
(a) 49 (b) 64
(c) 36 (d) 81

4. 2, 5, 9, ?, 20, 27
(a) 14 (b) 16
(c) 18 (d) 20

5. 1, 6, 15, ?, 45, 66, 91
(a) 25 (b) 26
(c) 27 (d) 28

6. 22, 24, 28, ?, 52, 84
(a) 38 (b) 36
(c) 42 (d) 46

7. 240, ?, 120, 40, 10, 2
(a) 180 (b) 240
(c) 420 (d) 480

8. 28, 33, 31, 36, ?, 39
(a) 32 (b) 34
(c) 38 (d) 40

9. 1, 5, 13, 25, 41, ?
(a) 51 (b) 57
(c) 61 (d) 63

10. 2, 3, 5, 7, 11, ?, 17
(a) 12 (b) 13
(c) 14 (d) 15

11. 1, 4, 27, 16, ?, 36, 343
(a) 25 (b) 87
(c) 120 (d) 125

12. 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16, ?
(a) 32 (b) 64
(c) 81 (d) 256

निर्देश :- (13-20)

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षर शृंखला दी गई है, जिसमें एक या एक से अधिक पद लुप्त हैं, तब दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए-

13. A, C, F, J, ?, ?
(a) L, P (b) M, O
(c) O, U (d) R, V

14. B, D, F, I, L, P, ?
(a) R (b) T
(c) S (d) U

15. BMO, EOQ, HQS, ?
(a) KSU (b) LMN
(c) SOV (d) SOW

16. R, U, X, A, D, ?
(a) F (b) G
(c) H (d) I

17. AC, FH, KM, PR, ?
(a) UW (b) VW
(c) UX (d) TV

18. U, B, I, P, W, ?
(a) D (b) F
(c) Q (d) X

19. A, G, L, P, S, ?
(a) U (b) W
(c) X (d) Y

20. T, R, P, N, L, ?, ?
(a) J, G (b) K, H
(c) J, H (d) K, I

निर्देश :-(21-28)

नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक अक्षर-अंक शृंखला दी गई है जिसके एक या अधिक पद लुप्त हैं, तब दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए-

21. b3P, c6R, d12T, e24V, ?
(a) f48X (b) f46X
(c) f48W (d) g48X

22. C3D, E7G, G16J, I35M, ?
(a) K74P (b) K70Q
(c) K54R (d) K36I

23. 1ZA, 3YB, 6XC, 10WD, ?
(a) 14VE (b) 15UV
(c) 12VE (d) 15VE

24. B2D, E3H, I4M, ?
(a) N5R (b) N5T
(c) N5S (d) N5Q

सामान्य गणित

1 महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य

लघुत्तम समापवर्त्य (LCM)

– जिस छोटी से छोटी संख्या को दी गई सभी संख्याएँ पूरा-पूरा विभाजित कर देती हैं उसे दी हुई संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 के समापवर्त्यों 24, 48, 72, 96..... इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्त्य है अत: 4,6,8 का लघुतम समापवर्त्य 24 हुआ।

दो संख्याओं के म.स. तथा ल.स. में संबंध -

पहली संख्या × दूसरी संख्या = दोनों का म.स. × दोनों का ल.स.

1. गुणनखण्ड विधि -

– इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखण्ड करके उन गुणनखण्डों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अन्त में अधिकतम घात वाले गुणनखण्डों का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभीष्ट ल.स. होता है ; जैसे 8, 12, 20 का ल.स. ज्ञात करना–

दी हुई संख्याएँ	अभाज्य गुणनखण्ड	अधिकतम घात के रूप में गुणनखण्ड
8	2 × 2 × 2	2^3
12	2 × 2× 3	$2^2 \times 3^1$
20	2×2×5	$2^2 \times 5^1$
∴ ल.स.प.	$2^3 \times 3^1 \times 5^1$	8 × 3 × 5 = 120

2. भाग विधि-

– सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को क्रमश: एक पंक्ति में लिखकर बारी-बारी से 2,3,5...........से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तब उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट ल.स. होता है जैसे 12, 15, 18 का ल.स. ज्ञात करना।

2	12,15,18
2	6,15,9
3	3,15,9
3	1,5,3
5	1,5,1
	1,1,1

अत: अभीष्ट ल.स. = 2×2×3×3 ×5 = 180

महत्तम समापवर्तक

– वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा-पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं की म.स. कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसे म.स. कहते हैं अर्थात् समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वही म.स. होता है जैसे 12 तथा 18 के समापवर्तक 1,2,3,6 हैं अत: 12 तथा 18 का म.स. 6 होगा। इसी प्रकार 16, 24 तथा 32 के समापवर्तक 1,2,4,8 हैं अत: 16, 24 तथा 32 का म.स. 8 है।

महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि-

1. गुणनखण्ड विधि -

इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का बारी-बारी से अभाज्य गुणनखण्ड करते हैं तत्पश्चात् सर्वनिष्ठ गुणनखण्डों का आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार जो गुणनफल प्राप्त होता है वही म.स. होता है। जैसे 24, 32, 40 का म.स. ज्ञात करना –

24 = 2 × 2 × 2 × 3

32 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2

40 = 2 × 2 × 2 × 5

म.स. = सर्वनिष्ठ गुणनखण्डों का गुणनफल

= 2 × 2 × 2 = 8

2. भाग विधि -

इस विधि में दी गई संख्याओं को क्रमश: एक पंक्ति में लिखकर बारी-बारी से उन-उन संख्याओं से भाग देते हैं जिनके दी हुई सभी संख्याएँ एक साथ विभाजित हों। इस भाजकों को बायीं तरफ लिखते हैं। अन्त में इन भाजकों का आपस में गुणा करते हैं। इससे गुणनफल प्राप्त होता है, वही अभीष्ट म.स. होता है जैसे – 24, 32, 40 का म.स. ज्ञात करना।

2	24,32,40
2	12,16,20
2	6,8,10
	3,4,5

अत: म.स. = 2 × 2 × 2 = 8

लघुत्तम समापवर्त्य से साधारण प्रश्न -

1. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,21,24,27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए-

व्याख्या:-

अभीष्ट संख्या = 18, 21, 24, 27 का ल.स.

2	18,21,24,27
2	9,21,12,27
2	9,21,6,27
2	9,21,3,27
2	3,7,1,9
2	1,7,1,3
2	1,7,1,1
	1,1,1,1

ल.स.प. = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 = 1512

2. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरा-पूरा भाग जा सके-

व्याख्या:-

अभीष्ट संख्या = 36, 45, 63, 60 का ल.स.

2	36, 45, 63, 60
2	18, 45, 63, 15
3	9, 45, 63, 15
3	3, 15, 21, 5
5	1, 5, 7, 5
7	1, 1, 7, 1
	1, 1, 1, 1

ल.स.प. = 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 = 1260

महत्तम समापवर्तक से साधारण प्रश्न

1. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी-पूरी विभाजित करें-

व्याख्या:-

अभीष्ट संख्या = 24, 60, 84 का म. स.

2	24,60, 84
2	12,30, 42
2	6, 15, 21
	2, 5, 7

म.स.= 2×2×3 =12

2. एक कमरे की विमाएँ 18 मी., 12 मी. तथा 10 मी. है। बड़ा से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी-पूरी नापी जा सके-

व्याख्या:-

अभीष्ट पैमाना = 18 मी., 12 मी., 10 मी. का म.स. = 2मी.

2	18, 12, 10
1	9, 6, 5

महत्तम समापवर्तक से शेष पर आधारित प्रश्न-

1. वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे-

व्याख्या:-

134 – 9 = 125

159 – 9 = 150

184 – 9 = 175

अत: अभीष्ट संख्या = 125, 150, 175 का

5	125, 150, 175
5	25, 30, 35
	5, 6, 7

म.स.= 5 × 5 = 25

2. एक माली के पास 76,151,226 की संख्या के तीन प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर-बराबर ढेरियाँ बनाता है तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से 1 फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी के फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए–

व्याख्या:-

76 – 1 = 75

151 – 1 = 150

226 – 1 = 225

5	75, 150, 225
5	15, 30, 45
3	3, 6, 9
	1, 2, 3

अत: प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या

= 75, 150, 225 का म.स. = 5 × 5 × 3 = 75

लघुत्तम समापवर्त्य के शेष पर आधारित प्रश्न-

1. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8,9,12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव 1 शेष बचे।

व्याख्या:-

8, 9, 12, 15 का ल.स. = 360

अभीष्ट संख्या = 360 + 1 = 361

2. वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे।

व्याख्या:-

4 – 3 = 1

5 – 4 = 1

6 – 5 = 1

7 – 6 = 1

8 – 7 = 1

चूँकि, 4, 5, 6, 7, 8 का

ल.स. = 840

अभीष्ट संख्या = 840 – 1 = 839

समापवर्त्यों पर आधारित विशेष प्रश्न-

1. वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है, जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परन्तु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे?

व्याख्या:-

2	8, 10, 12
2	4, 5, 6
2	2, 5, 3
3	1, 5, 3
5	1, 5, 1
	1, 1, 1

अत: 8, 10, 12 का ल.स. = 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 120

अब माना अभीष्ट संख्या = 120K + 5 = 13× 9K + 3K + 5

= 13 × 9K + (3K +5)

यहाँ K का मान ढूँढ़ना है कि (3K+5), 13 से विभाजित हो जाए।

∴ यदि K = 7 रखा जाए तो 3K + 5 = 3 × 7 + 5 = 21 + 5 = 26, जो 13 से भाज्य है।

∴ अभीष्ट संख्या = 120 K + 5

= 120 × 7 + 5 = 840 + 5 = 845

कम्प्यूटर

1 कम्प्यूटर का सामान्य परिचय

- कम्प्यूटर – Computer एक मशीन है जो कि हर व्यक्ति के जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किसी ना किसी रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से उपयोग में ली जा रही है।
- Computer शब्द लेटिन भाषा के "Compute" Word से बना है, जिसका अर्थ Calculate अर्थात् गणना करने से है इसी कारण कम्प्यूटर को संगणक भी कहा जाता है।
- कम्प्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिस पर मशीनों या उपकरणों का प्रयोग करके डेटा को इनपुट किया जाता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के आधार पर प्रक्रिया करके डेटा को परिणाम में दर्शाता है।
- कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के समूह के नियंत्रण में डेटा पर क्रिया करके सूचना को व्यक्त करता है। कम्प्यूटर के द्वारा कार्य को करने के लिए या क्रियान्वित करने के लिए यह डेटा पर गणितीय व तार्किक क्रियाओं को करने में सक्षम होता है।
- कम्प्यूटर पर इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा दिया जाता है जिस पर कम्प्यूटर के CPU द्वारा प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के द्वारा परिणामों को दर्शाता है।

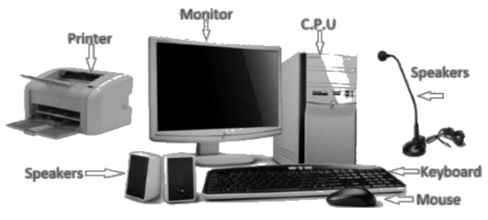

Basic parts of a Computer

कम्प्यूटर एक ऐसी Electronic Device है जिसमें निम्नलिखित क्षमताएँ होती है-

- मानव या उपयोगकर्ता (Users) द्वारा प्राप्त (Supplied) डेटा को स्वीकार (Accept) करना।
- स्वीकृत डेटा और निर्देशों को संगृहीत या Store करके निर्देशों को कार्यान्वित करना।
- तार्किक क्रियाओं व गणितीय क्रियाओं को आन्तरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कार्यान्वित करना।
- उपयोगकर्ता (Users) को आवश्यकतानुसार आउटपुट या परिणाम देना।

Computer की कार्य प्रणाली –

- INPUT ⇒ PROCESS ⇒ OUTPUT ⇒ STORAGE
- INPUT – Computer को दिया गया डेटा इनपुट कहलाता (इनपुट) है।
- Process – Computer पर Data को CPU के द्वारा गणना (प्रोसेस) करना या प्रक्रिया करना कहलाता है।
- Output – Computer के द्वारा प्राप्त परिणाम आउटपुट (आउटपुट) कहलाते हैं।

Storage (संग्रहण) – डेटा, निर्देश व परिणामों को संगृहीत करना।

Characteristics of Computer (कम्प्यूटर की विशेषताएँ):-

- (a) High Speed (b)Accuracy (c) Automation (d)Storage Capacity
  (e) Versatile (f) Reliability (g) Logical Calculation (h) Diligence

(a) High Speed (तेज गति) –

- Computer किसी भी मशीन की अपेक्षा सबसे Fast Speed से कार्य करता हैं। एक Micro Second में Computer 10 लाख से भी अधिक mathematical calculation कर सकता हैं।

(b) Accuracy (शुद्धता) –

- कम्प्यूटर के साथ किसी भी एक Process को बार-बार करने पर ऐसा कभी नहीं होगा कि Computer दो अलग-अलग Result दें। यदि कम्प्यूटर कभी गलत Result Display करता हैं तो उसका कारण कम्प्यूटर नहीं बल्कि User हैं जिसने गलत Data अथवा Program use में लिया हैं।

(c) Versatile (उपयोगिता) –

- कम्प्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार से उपयोगी हैं; जैसे Bill Create करना, Reports तैयार करना, Mathematical Problem Solve करना, Diagram बनाना etc.

(d) Diligent (कार्य करने की क्षमता) –

- मनुष्य की तरह कम्प्यूटर कभी थकता नहीं हैं। अतः जहाँ किसी एक ही प्रकार के कार्य को बार-बार करना हो वहाँ कम्प्यूटर एक अच्छा Assistant साबित हो सकता हैं तथा बिना रुके उस कार्य को उसी प्रकार पूरा करेगा जिस प्रकार First Time Complete किया था।

(e) Storage Capacity (भण्डारण क्षमता)-

- Computer अपनी Memory में कई प्रकार की Information Store करके रख सकता हैं तथा आवश्यकता होने पर desired information को उपलब्ध भी करा सकता हैं।

(f) Automation (स्वचालित) –

- कम्प्यूटर एक मशीन है जो मानव के द्वारा दिए गए कार्यों को स्वचालित करती है।

(g) Logical Calculation (तार्किक गणना) –

- कम्प्यूटर एक गणना यंत्र है जिसमें कम्प्यूटर पर अंकगणितीय गणनाओं के साथ तार्किक गणनाओं को भी संचालित करता है।

(h) Reliability (विश्वसनीयता) –

- कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है जिस पर किसी भी कार्य को विश्वसनीयता से करवाया जा सकता है।

Limitations (कमियाँ) :-

- **Lack of IQ (सोचने की क्षमता नहीं होना) -** कम्प्यूटर में कुछ भी अपने आप सोचने की तथा निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। यह केवल वही कार्य करता हैं जिसे करने का Order उसे दिया जाता हैं। कम्प्यूटर से कार्य कराने के लिए प्रोग्राम बनाने होते हैं और कम्प्यूटर प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता हैं। कम्प्यूटर स्वयं उपलब्ध Alternative में से सही विकल्प Select करने में असमर्थ है।
- **Feeling Less (महसूस नहीं कर सकता) -** Computer एक Machine हैं और उसके कार्य करने में Feelings का कोई स्थान नहीं है।

- **Do Not Learn From Past Experience:-** Computer को एक ही तरह का कार्य करने के लिए बार-बार निर्देशित करना पड़ता हैं। पिछले कार्यों से वह कुछ भी नहीं सीखता तथा प्रत्येक कार्य के लिए बार-बार निर्देश पर निर्भर रहता हैं।
- **Limited Memory (सीमित मेमोरी) -**Computer में Primary व Secondary दोनों प्रकार की Memory उपलब्ध होती हैं। फिर भी उसकी Memory Limited होती हैं।
- **Gigo - (Garbage in Garbage out) -** यदि गलत Data या Instruction Computer को दिया जाए तो वह निश्चित रूप से गलत Result Display करेगा। कम्प्यूटर स्वयं Debugging का कार्य नहीं कर सकता है।

कम्प्यूटर का इतिहास History of Computer :-

Year	Computing Device and Inventor	Description
3000 BC	Abacus	Developed in China used as a counting device and lateron for mathematical calculations
1620 AD	Slide Rule	Normally used for engineering calculations.
1642	Pascal's Calculation Machine (Blaise Pascal - mathematician)	A device with eight counter wheels linked by ratchets for carryover. It was made for tedious mathematical French calculations. It was not very successful due to difficult operation and very high cost.
1835 (1832-37)	Babbage's Analytical Engine (Charles abbage - Professor of mathematics at Cambridge)	Today's computer organisation corresponds very closely to analytical engine.
1842	First Computer Programmer (Lady Augusta Ada Byron)	She translated a paper on Babbage's Analytical Engine describing steps to follow for using it. A programming language, ADA, is named after her.
1854	Boolean Logic (Algebra) (George Boole - British mathematician)	Published the principle of Boolean logic, based on variables the value of which can be either 'True or False'. It was an important development in the field of computers as it became easy to build reliable electronic circuits representing binary digits -1 for ON and 0 for OFF.
1884 (1884-89)	Punched Card Tabulating Machine (Hermon Hollerith - Instructor at MIT)	It was used for the US census of 1880. The work of approximately eight years was performed by this machine in three years.
1944	Howard Mark-1 (Howard A. Aiken, Harvard University USA)	It was the first successful general purpose digital computer.
1946	Concept of Programme vs Data (Dr. John Von Newman of Philadelphia USA)	He gave the design principle of digital computers suggesting the concept of stored programmes to make computers fully automatic.
1946 (1942-46)	ENIAC (Electronic Numeric Integrator and Calculator) John W Mauchely & J Presper Eckert at USA.	A full fledged electronic computer.
1951	UNIVAC-1 developed by Eckert and Mauchley	It was developed for commercial data processing. It was used by Columbia Broadcasting System (CBS) for forecasting the USA presidential election result in 1952.

राजस्थान का इतिहास एवं कला-संस्कृति

1 प्राचीन सभ्यताएँ

कालीबंगा सभ्यता

परिचय

- कालीबंगा राजस्थान राज्य के **हनुमानगढ़ जिले** का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ **सिंधु घाटी सभ्यता** के महत्त्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं।
- कालीबंगा को **कांस्य युगीन** सभ्यता माना जाता है।
- कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ **'काले रंग की चूड़ियाँ/काली चूड़ी'** है। यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों के कारण ही इस स्थान को 'कालीबंगा' कहा गया।

खोज एवं एवं उत्खनन कार्य -

- सर्वप्रथम **एल. पी. टेस्सीटोरी** ने कालीबंगा की जानकारी दी थी।
- कालीबंगा प्राचीन **सरस्वती नदी (वर्तमान में घग्घर) के बाएँ तट** पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित **नगरीय सभ्यता** थी।
- सर्वप्रथम इसकी खोज **वर्ष 1952** में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के निदेशक **'अमलानंद घोष'** द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में की गई थी।

> **नोट -** सरस्वती नदी का सर्वप्रथम उल्लेख **ऋग्वेद के दसवें मण्डल** में मिलता है। सरस्वती नदी का वर्तमान स्वरूप घग्घर नदी है। घग्घर नदी को **दृषद्वती नदी, सोतर नदी, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक** भी कहा जाता है।

- कालीबंगा में **वर्ष 1961-1969** तक **बी. बी. लाल तथा बी.के. थापर व एम.डी. खरे** के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया।
- कालीबंगा में **उत्खनन पाँच स्तरों में** किया गया था, जिसे **कालीबंगा I से V** के रूप में पहचाना गया।
- यहाँ से **प्राक् हड़प्पा (प्रथम व द्वितीय स्तर)** और **विकसित हड़प्पा (तृतीय, चतुर्थ व पंचम स्तर)** के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- **कालीबंगा में वर्तमान समय में तीन टीले प्राप्त हुए हैं-**
  KLB1 – पश्चिम में छोटा
  KLB2 – मध्य में बड़ा
  KLB3 – पूर्व में सबसे छोटा
- कालीबंगा के टीलों पर किए गए उत्खनन कार्य में पश्चिम में स्थित पहला टीला छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊँचा है तथा पूर्व में स्थित दूसरा टीला अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है।

सभ्यता का काल-

- **कार्बन डेटिंग पद्धति** के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय **2350** ई.पू. से **1750** ई.पू. माना जाता है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य-

- हडप्पाकालीन कालीबंगा दो भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग ऊँचाई पर बना हुआ था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। इसमें प्रशासनिक भवन बने होते थे। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम ऊँचाई पर था, जिसे निचला नगर कहा जाता था। दोनों भाग अलग-अलग सुरक्षित प्राचीरों से घिरे हुए थे।
- **डॉ. दशरथ शर्मा** ने कालीबंगा को **सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी** कहा है।
  नोट- ध्यातव्य है कि सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा तथा दूसरी मोहनजोदड़ो को माना गया है।
- कालीबंगा देश का **तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल** है।
  नोट- देश के दो बड़े पुरातात्विक स्थलों में राखीगढ़ी (हरियाणा) एवं धौलावीरा (गुजरात) है।
- कालीबंगा को **'दीन-हीन बस्ती'** भी कहा जाता है।
- कालीबंगा में **मातृसत्तात्मक परिवार** की व्यवस्था विद्यमान थी।
- **पाकिस्तान के कोटदीजी** नामक स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से काफी मिलते-जुलते हैं।
- संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को **'बहुधान्यदायक क्षेत्र'** कहा जाता था।
- कालीबंगा सैंधव सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से **मातृदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त नहीं** हुई है।
- **वर्ष 1961** में कालीबंगा अवशेष पर भारत सरकार द्वारा **90 पैसे का डाक टिकट** जारी किया गया।
- राज्य सरकार द्वारा कालीबंगा से प्राप्त पुरा अवशेषों के संरक्षण हेतु वर्ष **1985-86 में एक संग्रहालय की स्थापना** की गई।

पुरातात्विक साक्ष्य -

- विश्व में **सर्वप्रथम भूकम्प के साक्ष्य** कालीबंगा से ही मिले हैं।
- विश्व में सर्वप्रथम **लकड़ी की नाली** के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं।
- कालीबंगा से उत्खनन में **दोहरे जुते हुए खेत** के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो विश्व में जुते हुए खेत के **प्राचीनतम प्रमाण** है।
- कालीबंगा में समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य और **ग्रिड पैटर्न** की गर्तधारियों के निशान मिले हैं।
- यहाँ से **एक ही समय में दो फसलें** उगाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसमें गेहूँ तथा जौ एक साथ बोये जाते थे।
- कालीबंगा से **कपालछेदन क्रिया** का प्रमाण मिलता है।
- कालीबंगा से **कलश शवदान** के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
- ऐसा माना जाता है कि यहाँ **अंत्येष्टि संस्कार की तीन विधियाँ** प्रचलित थीं, जिसमें पूर्व समाधीकरण, आंशिक समाधीकरण और दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं।
- कालीबंगा क्षेत्र से **मिट्टी से बना कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएँ** मिली हैं।
- कालीबंगा के नगरों की **सड़कें समकोण पर काटती** थी।
- यहाँ के लोग **कच्ची ईंटों से बने मकानों** में रहते थे तथा मकानों की नालियाँ, शौचालय तथा कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है।
- कालीबंगा में एक दुर्ग, बेलनाकार मुहरें, ताँबे का बैल, जुते हुए खेत, सड़कें तथा मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

- यहाँ का मृद्भाण्ड उद्योग अत्यधिक विकसित था। यहाँ से भागते हुए **बैल की मृण्मूर्ति तथा लाल मृद्भाण्ड**, जिन पर काले व लाल रंग का ज्यामितीय अलंकरण किया हुआ था, प्राप्त हुए है।
- कालीबंगा से **सात अग्निवेदिकाएँ** प्राप्त हुई हैं।
- कालीबंगा में मकानों से गन्दे पानी को निकालने के लिए **लकड़ी की नालियों का प्रयोग** किया जाता था।
- यहाँ से बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें छह छेद हैं जिसमें **जल कपाली या मस्तिष्क शोध की बीमारी** का पता चलता है।
- कालीबंगा से **मेसोपोटामिया की मिट्टी से निर्मित बेलनाकार मुहर** प्राप्त हुई है।
- कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैन्धवकालीन लिपि (**ब्रुस्ट्रोफेदन लिपि**) के समान थी, जो दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है।
- राजस्थान में कालीबंगा से **विशाल सांडों की जुड़वाँ पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति** मिली है।
- **नोट - सोथी सभ्यता-** बीकानेर के आस-पास की सभ्यता को सोथी सभ्यता कहा जाता है। अमलानन्द घोष ने इसे सम्पूर्ण हड़पा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। इसे **कालीबंगा प्रथम** के नाम से भी जाना जाता है।

बालाथल सभ्यता

परिचय

- **उदयपुर जिले** की **वल्लभनगर तहसील** के बालाथल गाँव के पास **बनास या बेड़च नदी** के निकट एक टीले के उत्खनन से **ताम्र-पाषाणकालीन सभ्यता** के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के उत्खनन से प्राप्त मृद्भाण्डों, ताँबे के औजारों और मकानों पर **सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव** दिखाई देता है, जिससे इस सभ्यता से इसके संपर्क के पुख्ता प्रमाण प्राप्त होते हैं।
- बालाथल में 1800 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक सभ्यता तथा 600 ईसा पूर्व के लगभग लौहयुगीन सभ्यता के आबाद होने का पुरातत्वशास्त्रियों का अनुमान है।
- **सभ्यता का काल-** 1900-1700 ई. पूर्व।

खोज एवं उत्खनन कार्य

- इस सभ्यता की खोज **वर्ष 1962-63 में डॉ. वी. एन. मिश्र** द्वारा की गई।
- वर्ष 1993 में **डॉ. वी. एस. शिंदे, आर. के. मोहन्ते, डॉ. देव कोठारी एवं डॉ. ललित पाण्डे** ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बालाथल में उत्खनन से एक **11 कमरों के विशाल भवन** के अवशेष मिले हैं।
- यहाँ से **लोहा गलाने की पाँच भट्टियों** के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के लोग बर्तन बनाने तथा कपड़ा बुनने के बारे में जानकारी रखते थे।
- यहाँ से पाँचवीं सदी ईसा पूर्व का **हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा** प्राप्त हुआ है।
- पत्थर के मनके, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ, पशु आकृतियाँ, ताँबे के औजार।
- बालाथल के उत्खनन में मिट्टी से बनी **सांड की आकृतियाँ** मिली हैं।
- बालाथल निवासी **मांसाहारी** भी थे।
- यहाँ से **4000 वर्ष पुराना कंकाल** मिला है जिसको भारत में **कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण** माना जाता है।
- यहाँ से **योगी मुद्रा में शवाधान** का प्रमाण प्राप्त हुआ।
- बालाथल में अधिकांश आभूषण व उपकरण तांबे के बने प्राप्त हुए हैं।
- यहाँ के लोग **कृषि, शिकार तथा पशुपालन** आदि से परिचित थे।
- बालाथल से प्राप्त बैल व कुत्ते की मृण्मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय है।

ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल

गणेश्वर सभ्यता

परिचय

- गणेश्वर सभ्यता **नीमकाथाना क्षेत्र (सीकर) में रैवासा गाँव की खंडेला पहाड़ियों** में स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थल है।
- गणेश्वर सभ्यता **कांतली नदी के किनारे** विकसित प्राक् हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है।
- गणेश्वर को **'पुरातत्व का पुष्कर'** भी कहा जाता है।

खोज-उत्खनन कार्य एवं काल

- **रेडियोकार्बन विधि** के आधार पर इस स्थल की तिथि **2800 ईसा पूर्व** निर्धारित की गई।
- गणेश्वर सभ्यता की खोज एवं सर्वप्रथम उत्खनन कार्य वर्ष 1977 में **रतनचंद्र अग्रवाल** द्वारा किया गया।
- इस सभ्यता स्थल पर व्यापक उत्खनन कार्य **वर्ष 1978-79 में विजय कुमार द्वारा** करवाया गया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- गणेश्वर को भारत में **'ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी'** तथा **'ताम्र संचयी संस्कृति'** भी कहा जाता है।
- भारत में पहली बार किसी स्थान से इतनी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं।
- गणेश्वर सभ्यता के लोग संभवत: **ताँबा खेतड़ी व अलवर की खो-दरीबा खान** से प्राप्त करते थे।
- यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में **99 प्रतिशत तांबा** है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है।

पुरातात्विक अवशेष

- गणेश्वर के उत्खनन से लगभग **2000 ताम्र आयुध व ताम्र उपकरण** प्राप्त हुए हैं, जिनमें तीर, भाले, सूइयाँ, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे आदि शामिल हैं।
- गणेश्वर में बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु वृहदाकार पत्थर के **बाँध बनाने के प्रमाण।**
- ताँबे का बाण एवं मछली पकड़ने का कांटा।
- काले व नीले रंग के कपिषवर्णी मृद्पात्र।
- गणेश्वर से **मिट्टी के छल्लेदार बर्तन** भी प्राप्त हुए हैं।
- मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, जो केवल गणेश्वर में ही प्राप्त हुए हैं।
- दोहरी पेचदार शिरेवाली ताम्रपिन।

राजस्थान का भूगोल

1 स्थिति एवं विस्तार

राजस्थान का परिचय

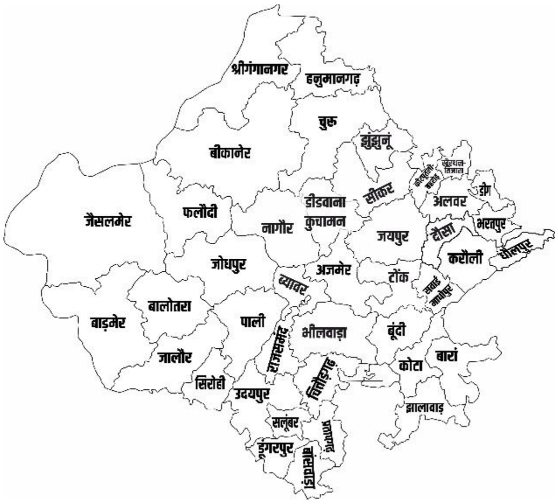

- राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह देश के उत्तर-पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, (1,32,139 वर्ग मील) जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10वाँ भाग या दसवां हिस्सा है।
- विश्व के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 0.25% है।
- (1 नवम्बर, 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना।)
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पाँच बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान श्रीलंका से पाँच गुना, चेकोस्लोवाकिया से तीन गुना, इजराइल से सत्रह गुना, ब्रिटेन से (1.5 गुना) है।
- जापान, कांगो रिपब्लिक, फिनलैंड और जर्मनी के क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल लगभग बराबर है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के तीन बड़े जिले –
  1. जैसलमेर
  2. बीकानेर
  3. बाड़मेर

राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं आकृति

राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति

अक्षांशीय स्थिति
अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है।)

देशांतरीय स्थिति
देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्द्ध में स्थित है।)

- ग्लोब या विश्व के मानचित्र में राजस्थान की स्थिति उत्तर-पूर्व (इशान कोण) में है।
- राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है।
- इस आकृति के बारे में सर्वप्रथम 'टी.एच. हेंडले' ने बताया।

राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार:-

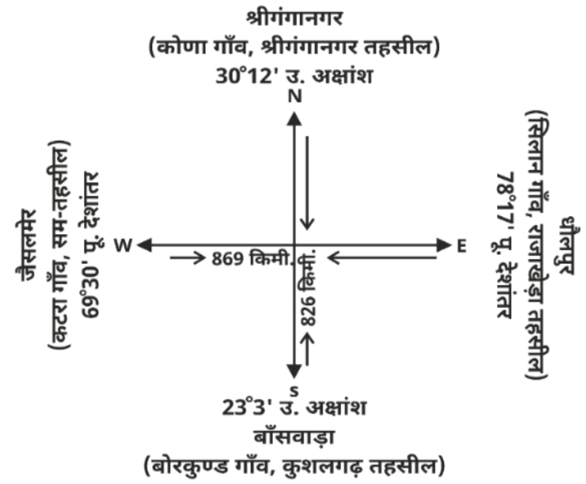

राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार:-

- राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23°03' उत्तरी अक्षांश से 30°12' उत्तरी अक्षांश तक है।
- राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7°9' अक्षांशों के मध्य है।
- राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लम्बाई 826 किलोमीटर है।
- राजस्थान का उत्तरतम बिन्दु कोणा गाँव (श्रीगंगानगर) है।
- राजस्थान का दक्षिणतम बिन्दु बोरकुण्ड (बाँसवाड़ा) है।

राजस्थान का देशांतरीय विस्तार:-

- राजस्थान का देशान्तरीय विस्तार 69°30' पूर्वी देशांतर से 78°17' पूर्वी देशांतर तक है।
- राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8°47' देशांतरों के मध्य है।
- राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है।
- राजस्थान का पूर्वी बिन्दु सिलाना गाँव (धौलपुर) है।
- राजस्थान का पश्चिमी बिन्दु कटरा गाँव (जैसलमेर) है।
- कर्क रेखा $23\frac{1°}{2}$ उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा भी कहते है, यह राजस्थान के दक्षिणी भाग से निकलती है।
- कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है।

राजस्थान का विस्तार:-

स्थलीय सीमा-

- राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा 4,850 किलोमीटर अन्तर्राज्यीय सीमा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-

- राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका नाम 'रेडक्लिफ रेखा' है।

रेडक्लिफ रेखा

- रेडक्लिफ रेखा एक कृत्रिम रेखा है।
- रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है।
- रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त, 1947 को हुआ था।
- रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य और 2 केन्द्र शासित प्रदेश स्थित हैं-

तीन राज्य–

1. पंजाब
2. राजस्थान
3. गुजरात

दो केन्द्र शासित प्रदेश–

1. जम्मू–कश्मीर 2. लद्दाख

- रेडक्लिफ लाइन की कुल लम्बाई 3,323 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान के साथ 1,070 किलोमीटर की सीमा लगती है।
- इस अन्तर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण ब्रिटिश 'वकील सिरिल रेडक्लिफ' के नाम पर किया गया था।
- अन्तर्राष्ट्रीय रेखा की शुरुआत श्रीगंगानगर जिले के हिन्दूमल कोट से शुरू होकर बाड़मेर जिले के भागल गाँव (बाखासर) तक है।
- राजस्थान के 6 जिले अन्तर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित हैं जो कि निम्नलिखित हैं–

1.	श्रीगंगानगर	210 किलोमीटर
2.	बीकानेर	168 किलोमीटर
3.	जैसलमेर	464 किलोमीटर
4.	बाड़मेर	228 किलोमीटर
5.	फलोदी	

- अन्तर्राष्ट्रीय–सीमा पर स्थित जिलों के अतिरिक्त सबसे नजदीक जिला–मुख्यालय श्रीगंगानगर तथा सबसे दूर धौलपुर है।
- रेडक्लिफ पर पाकिस्तान के 9 जिले स्थित हैं– पंजाब प्रान्त के 3 जिले बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमयार खां जिले तथा सिंध प्रांत के 6 जिले घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संघर, उमरकोट व थारपारकर राजस्थान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।

अन्तर्राज्यीय–सीमा–

- राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा पाँच राज्यों के साथ लगती है।
- यह अन्तर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है।
- राजस्थान के उत्तर में पंजाब राज्य है।
- राजस्थान के उत्तर–पूर्व में हरियाणा राज्य है।
- राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है।
- राजस्थान के दक्षिण–पूर्व में मध्य प्रदेश राज्य है।
- राजस्थान के दक्षिण–पश्चिम में गुजरात राज्य है।

पंजाब राज्य–

- यह राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा 89 किलोमीटर बनाता है।
- पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित राजस्थान के दो जिले हैं।
- श्रीगंगानगर पंजाब के साथ सर्वाधिक व हनुमानगढ़ न्यूनतम सीमा बनाता है।

हरियाणा राज्य–

- हरियाणा राज्य राजस्थान के साथ 1,262 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- हरियाणा के साथ राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूँ, सीकर, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल- तिजारा, डीग, अलवर जिले सीमा बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य–

- उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं–
  1. भरतपुर 2. धौलपुर 3. डीग
- उत्तर प्रदेश के दो जिलों की सीमाएँ राजस्थान के साथ लगती हैं– 1. मथुरा 2. आगरा

मध्य प्रदेश राज्य–

- मध्य प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ 1,600 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- **राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं–**
  1. धौलपुर 2. करौली
  3. सवाई माधोपुर 4. कोटा
  5. बाराँ 6. झालावाड़
  7. चित्तौड़गढ़ 8. भीलवाड़ा
  9. प्रतापगढ़ 10. बाँसवाड़ा।
- कोटा मध्य प्रदेश के साथ में दो बार सीमा बनाता है।

गुजरात राज्य–

- गुजरात राज्य राजस्थान के साथ 1,022 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
- गुजरात के साथ राजस्थान के बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर व बाड़मेर जिले सीमा बनाते हैं।
- राज्य के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कांडला बंदरगाह (गुजरात) है।
- राजस्थान के चार ऐसे जिले हैं जो दो–दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं–
  1. हनुमानगढ़ – पंजाब व हरियाणा।
  2. डीग – हरियाणा व उत्तर प्रदेश।
  3. धौलपुर – उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश।
  4. बाँसवाड़ा – मध्य प्रदेश व गुजरात।
- राजस्थान के 2 जिले अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं–
  1. श्रीगंगानगर – पाकिस्तान व पंजाब।
  2. बाड़मेर – पाकिस्तान व गुजरात।
- कोटा एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे जिले है जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते है।

वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं -

1. जयपुर संभाग 2. जोधपुर संभाग
3. बीकानेर संभाग
4. कोटा संभाग
5. अजमेर संभाग
6. उदयपुर संभाग
7. भरतपुर संभाग

राजस्थान के जिले

- वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं।
- राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नये जिलों की घोषणा की है जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 41 हो गयी है।
- एकीकरण के समय सबसे अन्त में सम्मिलित होने वाला जिला अजमेर था, जिसे 26 वें जिले के रूप में मान्यता मिली।

राजस्थान की राजव्यवस्था

1 राज्यपाल

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्य की कार्यकारी शक्ति उनमें निहित है।

संविधान में प्रावधान

- भाग VI (राज्य) के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है।
- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् और राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) शामिल होते हैं।
- राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख/संवैधानिक प्रमुख/ नाममात्र का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है।
  राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इसलिए, राज्यपाल के कार्यालय की दोहरी भूमिका होती है।
- केंद्र में उप-राष्ट्रपति के समान उप-राज्यपाल का कोई पद नहीं होता।

राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विवरण
153	राज्यों के राज्यपाल
154	राज्य की कार्यकारी शक्ति
155	राज्यपाल की नियुक्ति
156	राज्यपाल के पद की पदावधि
157	राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ
158	राज्यपाल कार्यालय की शर्तें
159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
160	कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
161	क्षमा आदि देने की राज्यपाल की शक्ति
162	राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
164	मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियाँ, कार्यकाल, वेतन और अन्य
165	राज्य के महाधिवक्ता
166	किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
167	राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य
174	राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
175	राज्य विधानमण्डल के सदनों को सम्बोधित करने और संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार।
176	राज्य विधानमण्डल के सदनों में राज्यपाल व विशेष अभिभाषण।
200	विधेयकों पर सहमति (अर्थात् राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति)
201	राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक
213	अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति
217	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाना।
233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
234	राज्यपाल द्वारा राज्य की न्यायिक सेवा में व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अलावा) की नियुक्ति।

राज्य का राज्यपाल

- संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि- प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है।
- हालाँकि, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- राज्यपाल जनता द्वारा चुना नहीं जाता और न ही अप्रत्यक्ष चुनाव से इसका निर्वाचन होता बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा-पत्र से होती है, अर्थात् वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है।
- उच्चतम न्यायालय के 1979 के निर्णय के अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है।

राज्यपाल हेतु अर्हताएं/योग्यताएँ

- संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल हेतु अर्हताएं निर्धारित दी गई है-
  1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित दो परम्पराएं भी जुड़ गई यद्यपि दोनों परम्पराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन हुआ है
  1. वह उस राज्य से संबंधित न हो जिस राज्य में नियुक्त किया जा रहा है।
  2. राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे।

राज्यपाल पद की शर्तें

- संविधान के अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद की शर्तों का उल्लेख किया गया है।
- उसे न तो संसद सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का सदस्य। यदि किसी सदन का सदस्य है तो पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्याग-पत्र देना होगा।
- उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
- वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों एवं विशेषाधिकार का अधिकारी होगा।
- उसके कार्यकाल के दौरान आर्थिक उपलब्धियाँ एवं भत्ते कम नहीं किये जा सकते।
- यदि वह दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तब उपलब्धियां एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानक के हिसाब से मिलेंगे।

राज्यपाल हेतु शपथ या प्रतिज्ञान

- संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल हेतु शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है।
- पद ग्रहण करते समय राज्यपाल संविधान और सुरक्षा तथा नागरिक हितों की शपथ लेता है।
- प्रत्येक राज्यपाल तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं।

राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ

- भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के साथ ही राज्यपाल को भी विशेषाधिकार प्रदान किया गया है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 361 में है।
- राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
- पद पर रहते हुए किए गए अपने कार्यों के लिए राज्यपाल को न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी घोषित नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की जा सकती।
- राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार करके कारागार में नहीं डाला जा सकता।
- राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल मामला चलाया जा सकता है लेकिन राज्यपाल के विरूद्ध ऐसा मामला लाने वाले व्यक्ति को अपना पता व मामले का आधार बताना होगा और 2 महीने पूर्व इस प्रकार का नोटिस देना होगा।

राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल

- संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि/कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।
- राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से पाँच वर्ष के लिए होता है लेकिन वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।
- राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति, एक राज्यपाल को जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, को उसी राज्य या अन्य राज्य में दुबारा नियुक्त कर सकता है।
- एक राज्यपाल पाँच वर्ष के बाद भी पद पर बना रहता है जब तक की उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, ताकि रिक्तता की स्थिति न पैदा हो।
- राज्यपाल अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित करके देता है।
- राष्ट्रपति को जब लगे की कोई अकस्मात् घटना हो रही है तब वह राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उपबंध बना सकता है।
- वर्तमान राज्यपाल के अकस्मात् निधन पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जाता है।

वेतन एवं भत्ते

- राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है लेकिन इनका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।
- संविधान की दूसरी अनुसूची में राज्यपाल के वेतन और भत्तों का उल्लेख है।
- वर्ष 2012 में राज्यपाल का वेतन बढ़ाकर साढ़े तीन लाख कर दिया है

राज्यपाल की शक्तियाँ

- संघ में जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, वहीं शक्तियाँ राज्य में राज्यपाल को प्राप्त होती है। इनमें कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों में राज्यपाल को कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है।
- निम्नलिखित शीर्षकों के तहत राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है-

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां

- अनु. 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार प्रत्यक्षतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।
- संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्य के सभी शासकीय कार्य या कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से होते हैं।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1 ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग 1 अप्रैल, 1999 को स्थापित हुआ।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाएं क्रियान्वित जा रही है।
- इन कार्यक्रमों/योजनाओं का उद्देश्य गरीबी को कम करना, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मजदूरी आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है।

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP) राजीविका

- इसकी स्थापना ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रुप में की गई है।
- **अध्यक्ष -** मुख्यमंत्री
- **प्रमुख सचिव**, (राजस्थान सरकार), सशक्त समिति के अध्यक्ष हैं।
- राज्य की ब्रांड एंबेसडर: रुमा देवी
- **अधिदेश -** स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) आधारित संस्थागत संरचना से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

इसका प्रमुख उद्देश्य

- स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) आधारित संस्थागत संरचना से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करना।
- स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों, सामुदायिक विकास संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के महासंघों के गठन और सुदृढ़ीकरण में सहायता करना।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सर्वे द्वारा चिह्नित ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी आजीविका संवर्द्धन हेतु स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थागत आधार सृजित करना।
- वित्तीय एवं चयनित सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाना; तेजी से बदलती बाह्य सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक दुनिया से निपटने के लिए अपनी क्षमता का निर्माण करना।
- राजीविका द्वारा निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), 2011

- ग्रामीण परिवारों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना।
- इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूरे राज्य में लागू किया गया हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना

- इस योजना का आरम्भ 19 फरवरी, 2019 को हुआ।
- यह कार्यक्रम राजीविका के माध्यम से राज्य के 9 जिलों में क्रियान्वित ।
- वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा

पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन

- इस परियोजना का समग्र लक्ष्य गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा कमजोर और वंचित समूहों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करना है।

एक ब्लॉक एक उत्पाद

- "एक ब्लॉक एक उत्पाद" को राजस्थान के 150 ब्लॉकों में उद्यमों के लिए क्षेत्र विशेष और आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक परियोजना के रुप में देखा गया है जो राजीविका का एक फूटप्रिंट है।

उपलब्धियाँ

- सुरक्षा सखी के रुप में 3.42 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पंजीकृत हैं।

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड

- स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को दैनिक जरुरतों और
- स्वरोजगार के लिए महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।
- **वन धन विकास केंद्र-**
- वन धन विकास योजना के तहत जिलों (बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर) में गठित ।
- उजाला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, बारां एवं झालावाड जिलों में दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया।
- **हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड-** कोटा और बारां जिले में सोयाबीन और धनिया मूल्य श्रृंखला विकसित करना।
- **लखपति दीदी योजना-** इसके तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके महिलाओं का उत्थान करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और राज्य में महिलाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। अभी तक कुल 5.25 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया चुका हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

- उद्देश्य-ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने हेतु स्वेच्छा से सहमत है।

मुख्य विशेषताएँ-

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय वयस्क निवासी इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- न्यूनतम एक तिहाई लाभार्थी महिलाओं को चुना जाता है।
- आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करने की गारंटी है, यदि रोजगार नहीं दिया गया तो राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
- कार्य गाँव के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाता है।
- 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 10% अतिरिक्त मजदूरी देय होती है।
- कार्यस्थल पर पेयजल, छाया, प्राथमिक चिकित्सा और क्रेच सुविधाएँ अनिवार्य हैं।

- 60:40 का मजदूरी और सामग्री अनुपात बनाए रखना होता है (अर्थात् मजदूरी- 60%, सामग्री - 40%)।
- एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।
- सरकार ने 100 दिनों से अधिक की अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने की अनुमति दी है, जो सूखा प्रभावित जिलों में प्रति परिवार 150 दिनों तक हो सकता है।

ग्राम सभा

- कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रुप से अधिकृत हैं।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता हैं।
- सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंकों/डाकघरों के माध्यम से।
- किसी भी ठेकेदार और श्रम विस्थापित मशीनरी से कार्य की अनुमति नहीं है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS):

- महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है।
- 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान कराया जाता है:-
  1. बारां जिले में रहने वाले सहरिया और खैरुआ आदिवासी परिवार,
  2. उदयपुर जिले में निवास करने वाले "कठौड़ी" जनजाति परिवार,
  3. राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिक

मिशन अमृत सरोवर

- **उद्देश्य -** 1. देश के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवरों (तालाबों) का निर्माण/विकास करना है।
  2. सरोवर में लगभग 10000 क्यूबिक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम 1 - 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) का तालाब क्षेत्र होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

- शुरुआत 1 अप्रैल, 2016 को हुई।
- प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए ₹ 1,20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- केंद्र प्रायोजित योजना-केंद्रीय राज्य अनुपात - 60:40
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक लाभार्थी को ₹ 12,000 की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लाभार्थियों को मनरेगा के माध्यम से दैनिक मजदूरी (90 मानव दिवस तक) देय है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना-2011 (एस.ई.सी.सी.-2011) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

- **उद्देश्य-** स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना हैं।
- यह योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से संबंधित कार्य	निर्वाचन क्षेत्र के लिए राशि	एससी/एसटी बस्तियों के लिए
पेयजल, सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज कार्य, राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में भवन निर्माण कार्य, पानी के टैंकों की सफाई, पर्यटन क्षेत्रों का आधारभूत विकास आदि।	₹5 करोड़ प्रति वर्ष	कुल वार्षिक आवंटित राशि का कम से कम 20%

- सार्वजनिक उपयोगिताओं के मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के लिए विधायकों द्वारा वार्षिक आवंटन का 20% तक सिफारिश किया जा सकती है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)

- **उद्देश्य:** सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसंपत्तियों (व्यापक सार्वजनिक उपयोग के लिए) का सृजन करना
- यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित है।
- राजस्थान में 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं।

सांसद	प्रति वर्ष राशि	निधि के लिए उपयोग क्षेत्र
लोक सभा सांसद	₹5 करोड़	अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अनुशंसा कर सकते हैं।
राज्य सभा सांसद	₹5 करोड़	प्रतिनिधित्व वाले राज्य के किसी भी जिले में अनुशंसा कर सकते हैं।
राज्यसभा के मनोनीत सांसद	₹5 करोड़	देश में कहीं भी कार्य करने की अनुशंसा कर सकते हैं।
MPLAD का 15%- अनुसूचित जाति (एस.सी.) आबादी वाले क्षेत्रों के लिए MPLAD का 7.5% - अनुसूचित जनजाति (एस.टी) आबादी वाले क्षेत्रों के लिए		

- प्रत्येक लोकसभा सांसद (एम.पी.) अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिला कलेक्टर को प्रति वर्ष ₹5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु सिफारिश कर सकता है (अव्यपगत निधि)।
- सांसद देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में परिसंपत्तियों के निर्माण, पुनर्वास हेतु अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनातर्गत सृजित परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता हैं।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

1. मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1986-87)

- मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1986-87 से अलवर, खैरथल तिजारा और डीग जिलों के 14 ब्लॉकों (807 गांवों) में क्रियान्वित किया जा रहा है।

महिलाओं और बच्चों के लिए
कानून व योजनाएं

1 भारतीय न्याय प्रणाली

भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के संरक्षण हेतु प्रावधान

- भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के समान विकास, संरक्षण, और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। संविधान निर्माताओं ने राज्य को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया ताकि वह इन वर्गों के कल्याण के लिए प्रभावी नीतियाँ लागू कर सके। नीचे प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों को बिंदुवार और शीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत सरकार के स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

1. मूल अधिकारों में प्रावधान

अनुच्छेद 15: विभेद का प्रतिषेध
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध।
- **उपखंड 15(3)**: राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
- उदाहरण: महिला आरक्षण (जैसे, पंचायती राज में 33% आरक्षण), बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा (RTE अधिनियम, 2009)।
- **महत्व**: केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
- **सरकारी जानकारी**: विधि मंत्रालय के अनुसार, यह अनुच्छेद सामाजिक-आर्थिक समानता के लिए आधार प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16: लोक सेवाओं में अवसर की समता
- **उपखंड 16(1)**: राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर।
- **महत्व**: महिलाओं को सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
- **उदाहरण**: भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' महिलाओं की शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करती हैं।
- **सरकारी जानकारी**: यह प्रावधान लैंगिक भेदभाव को कम करने में सहायक है।

अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।
- **महत्व**: सभी नागरिकों को गरिमामय जीवन का अधिकार, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा शामिल है।
- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर का कथन**: अनुच्छेद 21 को संविधान का मेरुदण्ड कहा गया।
- **सरकारी जानकारी**: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों (जैसे, मेनका गांधी केस, 1978) ने इस अनुच्छेद के दायरे को विस्तृत किया, जिसमें जीवन की गुणवत्ता शामिल है।

अनुच्छेद 21(क): निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
- **जोड़ने की तारीख**: 86वाँ संविधान संशोधन, 2002।
- **प्रावधान**: 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- **महत्व**: बच्चों के शैक्षिक अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देता है।
- **सरकारी जानकारी**: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह प्रावधान RTE अधिनियम, 2009 का आधार है, जिसने लाखों बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाया।

अनुच्छेद 23: मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध
- मानव दुर्व्यापार (महिलाओं और बच्चों का क्रय-विक्रय, वेश्यावृत्ति) और बलात् श्रम (बेगारी) निषिद्ध।
- **कानून**: 'अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956' इस अनुच्छेद को लागू करने के लिए पारित।
- **महत्व**: महिलाओं और बच्चों को शोषण से बचाता है।
- **सरकारी जानकारी**: गृह मंत्रालय की योजनाएँ (जैसे, उज्ज्वला योजना) मानव तस्करी की रोकथाम में सहायक हैं।

अनुच्छेद 24: बाल श्रम का निषेध
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खानों, कारखानों, या जोखिमपूर्ण उद्योगों में नियोजन निषिद्ध।
- **महत्व**: बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाने के लिए।
- **कानून**: बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986।
- **सरकारी जानकारी**: श्रम मंत्रालय के अनुसार, बाल श्रम उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

2. नीति निदेशक तत्वों में प्रावधान

अनुच्छेद 39: समान वेतन और कल्याण
- **उपखंड 39(घ)**: पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन।
- **महत्व**: लैंगिक भेदभाव को समाप्त करता है और महिलाओं के आर्थिक उत्थान को प्रोत्साहित करता है।
- **सरकारी जानकारी**: समान वेतन अधिनियम, 1976 इस प्रावधान को लागू करता है।

अनुच्छेद 42: प्रसुति और कार्यस्थल सुधार
- काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएँ तथा प्रसुति सहायता का प्रावधान।

उदाहरण:
- प्रसुति एम्बुलेंस (104 नंबर)।
- राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 103 के तहत 180 दिन का मातृत्व अवकाश।
- **महत्व**: महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व अधिकारों की रक्षा।
- **सरकारी जानकारी**: स्वास्थ्य मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' इस दिशा में कार्यरत है।

अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता
- भारत में समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास।
- **महत्वपूर्ण केस**: शाहबानो बेगम बनाम अहमद खान (1985) ने इसकी आवश्यकता पर बल दिया।
- **वर्तमान स्थिति**: गोवा में समान सिविल संहिता लागू।

- **महत्व**: लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है।
- **सरकारी जानकारी**: विधि आयोग समय-समय पर इस पर सुझाव देता रहा है।

अनुच्छेद 45: बच्चों की शिक्षा

- 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- **महत्व**: अनुच्छेद 21(क) द्वारा इसे मूल अधिकार बनाया गया।
- **सरकारी जानकारी**: समग्र शिक्षा अभियान इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

3. मूल कर्तव्यों में प्रावधान

अनुच्छेद 51(क)(इ): स्त्री गरिमा की रक्षा

- नागरिकों का कर्तव्य कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों।
- **महत्व**: सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को प्रोत्साहित करता है।
- **सरकारी जानकारी**: महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजनाएँ (जैसे, वन स्टॉप सेंटर) इस दिशा में कार्यरत हैं।

संवैधानिक प्रावधान और महिला आरक्षण विधेयक, 2023

- भारतीय संविधान और हाल के विधायी प्रयासों ने महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। नीचे महिला आरक्षण विधेयक, 2023 और पंचायती राज में महिला आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को बिंदुवार और शीर्षकों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत सरकार के स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

1. महिला आरक्षण विधेयक, 2023

- **अवलोकन**: यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए **एक-तिहाई (1/3)** सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- **नाम**: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक)।
- **स्थिति**: सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ क्योंकि यह परिसीमन और जनगणना प्रक्रिया से जुड़ा है।

संवैधानिक संशोधन:

- **अनुच्छेद 330A**: लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान।
- **अनुच्छेद 332A**: राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान।

विशेषताएँ:

- आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षण शामिल।
- आरक्षण **15 वर्ष** की अवधि के लिए लागू रहेगा, जिसे संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर होगा।
- **महत्व**: महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
- **सरकारी जानकारी**: विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार, यह विधेयक 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा।
  लोकसभा में पारित होने के बाद यह राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है।
  वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14% है, जो वैश्विक औसत (26%) से कम है। यह विधेयक इसे बढ़ाने में सहायक होगा।

2. पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिला आरक्षण

अनुच्छेद 243(घ): पंचायती राज में आरक्षण:

- **प्रावधान**: पंचायतों में कुल सीटों का **कम से कम 1/3 भाग** महिलाओं के लिए आरक्षित।
  आरक्षित सीटों में से **1/3 सीटें** अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) महिलाओं के लिए आरक्षित।
  सीटों का निर्धारण: महिला आरक्षित सीटें चक्रानुक्रम (रोटेशन) विधि द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- **महत्व**: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देता है।
  73वें संविधान संशोधन (1992) ने इस प्रावधान को लागू किया।
- **सरकारी जानकारी**: पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में 21 राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है।
  भारत में लगभग 14 लाख महिला प्रतिनिधि पंचायतों में कार्यरत हैं, जो स्थानीय शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

अनुच्छेद 243(T): नगरपालिकाओं में आरक्षण:

- **प्रावधान**: नगरपालिकाओं में कुल सीटों का **कम से कम 1/3 भाग** महिलाओं के लिए आरक्षित।
  SC/ST महिलाओं के लिए भी उप-आरक्षण का प्रावधान।
- **महत्व**: शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
  74वें संविधान संशोधन (1992) ने इस प्रावधान को लागू किया।
- **सरकारी जानकारी**: शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, नगरपालिकाओं में महिला प्रतिनिधित्व ने शहरी योजनाओं में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने में मदद की है।
  कई राज्यों ने नगरपालिकाओं में भी 50% महिला आरक्षण लागू किया है।

सुरक्षित महिला में राजस्थान सरकार के नवाचार

- राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण, और उनके प्रति अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए कई नवाचारी कदम उठाए हैं। ये प्रयास न केवल महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को भी बढ़ावा देते हैं। नीचे इन नवाचारों को बिंदुवार और शीर्षकों के साथ विस्तृत किया गया है, जिसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार के स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

सामान्य विज्ञान

1 मानव कार्यिकी

मानव पाचन तंत्र(Human Digestive System) :-

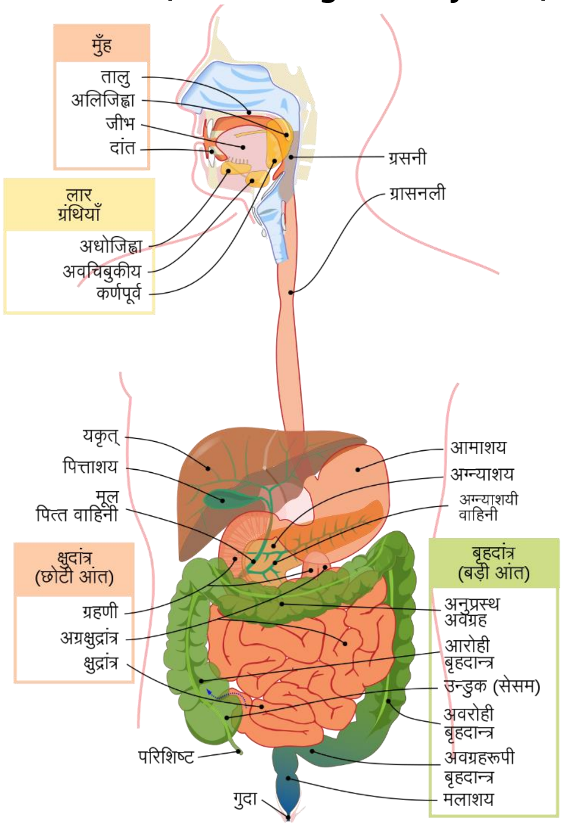

मनुष्य पाचन तंत्र

- मनुष्यों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति भोजन से होती है जिसका पाचन मुख से प्रारंभ होकर से छोटी आंत तक होता है। मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्यतः **आहारनाल एवं ग्रंथियाँ** होती है।

1. आहारनाल के विभिन्न भाग:-

- **मुख गुहा (Oral Cavity)**
  (i) दाँत (Teeth)
  (ii) जिह्वा (Tongue)
- **ग्रसनी (Pharynx)**
- **ग्रासनलिका (Food pipe/Oesophagus)**
- **आमाशय (Stomach)**
- **छोटी आँत (Small intestine)**
  1. ड्यूडीनम (D)
  2. जेजुनम (J)
  3. इलियम (I)
- **बड़ी आँत (Large intestine)**
  (i) सीकम
  (ii) कोलन
  (iii) रेक्टम
- **मलाशय**
- **गुदा**

2. पाचन ग्रंथियाँ :-

1. लार ग्रंथि (Salaviary gland) - 3 जोड़ी मुखगुहा
2. आमाशय ग्रन्थि (Gastric Gland)
3. यकृत (Liver)
4. अग्न्याशय (Pancreas)

आहारनाल के विभिन्न भाग-

- **मुख एवं मुख गुहा(Mouth/Oral Cavity)-** पाचन तंत्र में आहारनाल के प्रारंभिक भाग के रूप में मुख गुहा में 2 प्रमुख संरचनाएँ दाँत/Teeth एवं जिह्वा (Tongue) पाए जाते हैं।
- **दाँत :-**

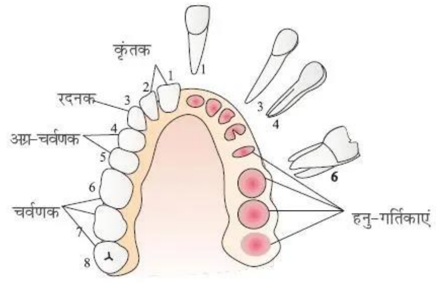

एक ओर हनु में विभिन्न प्रकार के दंत-विन्यास और दूसरी ओर हनु-गर्तिकाओं को दर्शाते हुए।

मानव दाँत प्रकार कार्य के आधार पर :-

क्र. स.	दाँत के प्रकार	संख्या	कार्य
1.	कृन्तक (Incisor)	8	काटना
2.	रदनक (Canine)	4	चीड़-फाड़
3.	अग्रचवर्णक (Premolar)	8	चबाना
4.	चवर्णक (Molar)	12	चबाना

मानव दाँत :-

- ये दो प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं-
  1. प्राथमिक दाँत (दूध के दाँत)
  2. स्थायी दाँत

प्राथमिक दाँत/Milk teeth (Primary teeth)

- ये दाँत 6 वें माह से आना प्रारंभ तथा 12-14 वर्ष की उम्र तक बच्चे के मुख में पाए जाते हैं।
- इनकी संख्या 20 होती है।
- प्राथमिक दंत सूत्र

I	C	Pm	m
2	**1**	**0**	**2**
2	**1**	**0**	**2**

स्थायी दाँत/Permanent Teeth

- 5-6 वर्ष की आयु से लगभग 27 वर्ष की आयु तक पूर्ण रूप से आ जाते हैं।
- इनकी संख्या 32 होती है।

I	C	Pm	m
2	**1**	**2**	**3**
2	**1**	**2**	**3**

जिह्वा/Tongue:-

– ये पेशियों से निर्मित संरचना है, जो मुख गुहा में भोजन के स्वाद का पता लगाने में, भोजन की गति में, निगलने में, बोलने तथा भोजन में लार को मिलाने के कार्य जिह्वा के द्वारा किए जाते हैं।

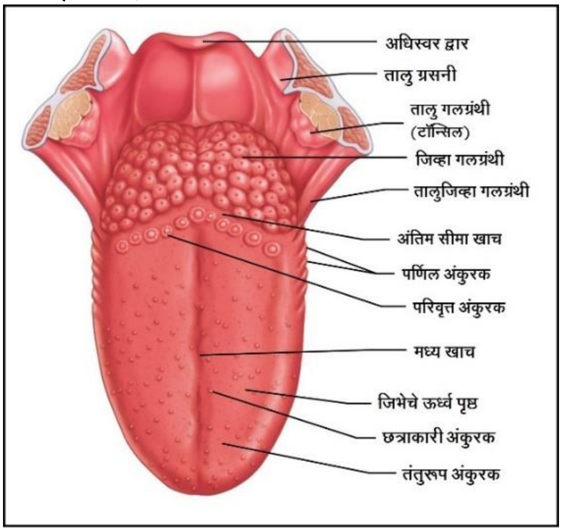

– **नोट -** मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल होता है। इनेमल $CaCO_3$ तथा $CaPO_4$ का बना होता है।

ग्रसनी (Phanrynx) –

– मुख गुहा के अंतिम सिरे पर भोजन पथ एवं श्वसन पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दोनों का ये जंक्शन बिंदु ग्रसनी कहलाता है।

आंतरिक/internal पाचन ग्रंथियाँ	बाह्य/External पाचन ग्रंथियाँ
- ये आहारनाल की विभिन्न संरचनाओं की दीवारों में ही पाई जाती है। जैसे- आमाशय की दीवारों में – जठर ग्रंथियाँ छोटी आँत की दीवारों में – ब्रूनर्स ग्रंथियाँ, श्लेष्म ग्रंथियाँ, लिबरकुहन की दरारें आदि।	- ये आहारनाल से बाहर स्थित हैं, लेकिन अपने स्रावण/ Secretion आहारनाल तक पहुँचाती हैं। जैसे- लार ग्रंथियाँ/ Salivary glands, यकृत/liver, अग्न्याशय (Pancreatic)

– ग्रसनी (Phanrynx) के निचले हिस्से में जहाँ श्वासनली/Trachea पाई जाती है, इसके सिरे पर एपिग्लॉटिस/कण्ठच्छद पाया जाता है, जो कि भोजन को निगलने के दौरान श्वासनली को बंद कर देता है।

ग्रसिका (gullet) ग्रासनली/ Oesophgus:-

– ये ग्रसनी के अंतिम भाग से भोजन को आमाशय (Stomach) में ले जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन तो नहीं होता लेकिन यहाँ होने वाली क्रमाकुंचनी गतियों (Peristalsis) के कारण भोजन आगे गति करता है।

आमाशय (Stomach):-

– ये 'J' आकार का थैलेनुमा अंग है। जिसके 4 भाग होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-
I. फण्डस (शीर्षस्थ भाग)
II. कार्डिया (हृदय की ओर)
III. बॉडी (मध्य का सबसे बड़ा भाग)
IV. पाइलोरस (अंतिम संकरा भाग)

– आमाशय (Stomach) की आंतरिक दीवारें मोटे स्तर से बनी होती है, जिससे ये स्वयं को जठर रस (Gastric Juice) की उच्च अम्लीयता से सुरक्षित रख पाता है।

– अंतिम पाइलोरस पर एक वॉल्व पायलोरिक वॉल्व पाया जाता है, जो आमाशय से अर्द्धपचित भोजन (काईम/Chyme) को छोटी आँत की तरफ जाने देता है।

छोटी आँत/Small intestine:-

– मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग (लगभग 7 मीटर) लेकिन इसकी मोटाई कम एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। इसके 3 भाग इस प्रकार हैं-
I. ड्यूडीनम II. जेजुनम III. इलियम

– इलियम के अंतिम भाग पर इलियोसीकल वॉल्व पाया जाता है, जो कि छोटी आँत में पचे हुए भोजन (Chyle/काईल) को बड़ी आँत के सीकम वाले भाग में जाने देता है।

बड़ी आँत/Large intestine:-

– आहारनाल का अंतिम भाग जो मोटाई में अधिक लेकिन लंबाई कम।

– इसे भी 3 भागों में बाँटा गया है-
I. सीकम II. कोलन III. रेक्टम

– बड़ी आँत के प्रारंभिक भाग सीकम के पास एक अवशेषी अंग अपेन्डिक्स पाया जाता है, जो हमारे पूर्वजों में सेल्युलोज के पाचन से संबंधित था।

– बड़ी आँत का अंतिम भाग रेक्टम/मलाशय आगे गुदा/Anus से जुड़ता है, जहाँ अपचित भोजन को मल/Stool के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है।

आहारनाल से संबंधित पाचन ग्रंथियाँ:-

– आहारनाल में भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं -

आहारनाल से संबंधित ग्रंथियाँ:-

अग्न्याशय /Pancreas:-

– यह एक मिश्रित ग्रंथि/Mixed gland है।

– इनके बहि:स्रावी भाग से (Exocrine part) अग्न्याशय रस/Pancreas Juice से स्रावित होता है तथा यह विरसंग नलिका से ड्यूडीनम में पहुँच कर पाचन में सहायक हैं।

– अग्न्याशय ग्रंथि के अंत: स्रावी भाग से निम्नलिखित हॉर्मोन्स स्रावित होते हैं।
1. ग्लूकेगॉन (यह अग्न्याशय ग्रंथि की α-कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है)
2. इन्सुलिन (यह अग्न्याशय ग्रंथि की β-कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है)
3. सोमेटोस्टेटिन (यह अग्न्याशय ग्रंथि की $^{\delta}$-कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है)

भारत का इतिहास

1 सिंधु घाटी सभ्यता

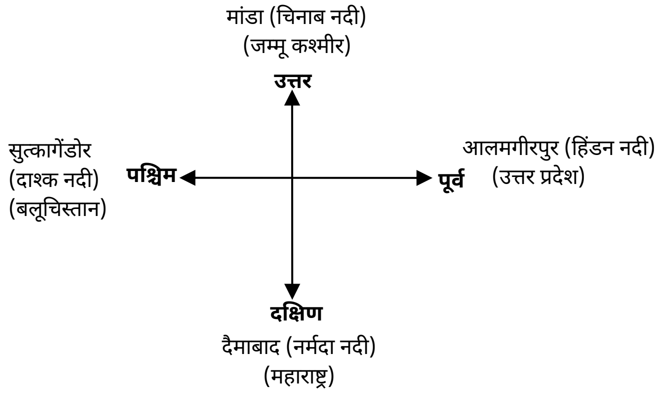

सैंधव सभ्यता की खोज-

- 1842 ई. में प्रकाशित अपने एक लेख में चार्ल्स मैसन ने भारत में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा के नीचे पुरानी सभ्यता दबी होने की बात कही।
- 1851-53 ई. में अलेक्जेण्डर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया।
- 1856 ई. में पहली बार **ए.** कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया था।
- 1856 ई. में जॉन बर्टन व विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची रेलवे लाईन बिछाने में किया।
- 1861 ई. में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की।
- वर्ष 1904 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरात्त्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अधीन भारत में प्राचीन इमारतों व नगरों के संरक्षण व सर्वेक्षण का आदेश पारित किया।
- इसी के शासनकाल में जॉन मार्शल नए निदेशक के रूप में भारत आए।
- वर्ष 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में रायबहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की।
- वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की।

सैंधव सभ्यता का काल निर्धारण

- हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है।
  1. जॉन मार्शल के अनुसार 3250 - 2750 ई.पू.
  2. अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 - 2500 ई.पू.
  3. माधोस्वरूप वत्स के अनुसार 3500 - 2700 ई.पू.
  4. मार्टीमर ह्वीलर के अनुसार 2500 - 1500 ई.पू.
  5. डी.पी. अग्रवाल व रोमिला थापर के अनुसार 2300 - 1750 ई. पू.
- रेडियो कार्बन (C-14) तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2300-1750 ई. पू. को माना जाता है।

सैंधव सभ्यता का विस्तार एवं क्षेत्र –

- सैंधव सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा (जम्मू) से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पश्चिम में सुत्कागेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर (मेरठ) तक है।
- वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1400 किमी. तक तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किमी. तक फैली हुई थी। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किये गए हैं।
- हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग आते हैं।

हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल-

स्थल	नदी/सागर तट	खोजकर्ता
हड़प्पा	रावी नदी	दयाराम साहनी
मोहनजोदड़ो	सिंधु नदी	राखालदास बनर्जी
लोथल	भोगवा नदी	एस. आर. राव
कालीबंगा	घग्घर नदी	अमलानन्द घोष
रोपड़	सतलज नदी	यज्ञदत्त शर्मा
कोटदीजी	सिंधु नदी	फजल अहमद खां
चन्हुदड़ो	सिंधु नदी	एन. जी. मजूमदार
आलमगीरपुर	हिन्डन नदी	यज्ञदत्त शर्मा
सुत्कागेंडोर	दाश्क नदी	ऑरेल स्टाइन
बनवाली	सरस्वती नदी	रवीन्द्र सिंह बिस्ट

सैंधव सभ्यता का आकार एवं नामकरण –

- सैंधव सभ्यता का वास्तविक स्वरूप त्रिभुजाकार था, परंतु वर्तमान में नवीन स्थल प्रकाश में आने के कारण अब इस का आकार विषमकोणिय चतुर्भुजाकार है।
- जॉन मार्शल 'सिंधु सभ्यता' नाम का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद् थे।
- सिंधु सभ्यता के विकास करने वाली जाति में सर्वाधिक मान्य मत है कि यहाँ की बहुसंख्यक जनता भूमध्यसागरीय प्रजाति की थी।

सैंधव सभ्यता की नगर योजना एवं विशेषताएँ –

- सिंधु या हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है।
- सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी माना जाता है।
- सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता अद्भुत नगर नियोजन व्यवस्था तथा जल निकासी प्रणाली है।
- सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर नगर दो भागों में विभाजित थे- पूर्वी और पश्चिमी भाग।
- पूर्वी टीले पर आवासीय क्षेत्र मिले हैं, जिन्हें निचला शहर और पश्चिमी टीले पर दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं।
- दुर्ग में शासक वर्ग निवास करता था तथा दुर्ग चारों ओर से दीवार से घिरा था। इसे निचले शहर से अलग किया गया था।
- दूसरा भाग जिसमें नगर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर, श्रमिक वर्ग निवास करते थे। निचला शहर भी दीवार से घिरा था।
- नगर योजना ग्रिड पद्धति पर आधारित है। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाति है तथा सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी।
- सड़कों के किनारे सुव्यवस्थित नालियाँ बनी थी। यह नालियाँ ऊपर से ढकी हुई होती थी। इनमें घरों से निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों से होते हुए मुख्य सड़क पर बड़े नाले में मिल जाता था।

- हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की नगर योजना लगभग समान थी। यहाँ पक्की हुई ईंटों का प्रयोग होता था।
- हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंटों से बने होते थे। हालांकि कालीबंगा व रंगपुर में कच्ची ईटों का प्रयोग हुआ है। सभी जगहों की ईटों का अनुपात 4:2:1 होता था।
- प्रत्येक मकान में रसोईघर, स्नानागार, कुएँ एवं गंदे जल की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था।
- मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। मकानों के दरवाजे मध्य में न होकर एक किनारे पर होते थे।
- हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ों से मिली है।
- ज्यादातर हड़प्पा नगर नदियों के किनारे स्थित थे।

सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल -

हड़प्पा –

- हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो तत्कालीन मोंटगोमरी जिले (अब शाहीवाल) का हिस्सा था।
- हड़प्पा नगर रावी नदी के बाएँ तट पर स्थित है।
- वर्ष 1923-25 में दयाराम साहनी के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन कार्य किया गया।
- इसके उत्खनन में माधो स्वरूप वत्स (1926) और व्हीलर (1946) भी जुड़े हुए थे।

हड़प्पा से प्राप्त अवशेष -

1. स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की मृणमूर्ति (इसे हड़प्पा वासियों ने उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी माना गया है।)
2. बिना धड़ की एक पाषाण मूर्ति
3. कब्रिस्तान R-37
4. विशाल अन्नागार
5. काँसे का दर्पण
6. प्रसाधन मंजूषा (श्रृंगार पेटी)
7. मानव के साथ बकरे के शवाधान के साक्ष्य
8. अलंकृत मोहरें

- **नोट**- सर्वाधिक अलंकृत मोहरें हड़प्पा से, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं।
- सैंधव सभ्यता की मोहरें सेलखड़ी (स्टेटाइड) से निर्मित होती थी।
- ये मुहरें 3 प्रकार की होती थी- आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार (सर्वाधिक)।
- इन मोहरों पर एक श्रृंगी बैल या हिरण, कूबड़दार बैल, मातृदेवी, व्याघ्र, पशुपतिनाथ व भैंसा आदि का अंकन मिलता है।

मोहनजोदड़ो –

- वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएँ किनारे पर स्थित प्रमुख नगर था।
- यह सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर था।
- इस स्थल की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी।
- मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ 'मृतकों का टीला' है।
- इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है।
- यह नगर 8 बार उजड़कर 9 बार बसा था, जिसके 7 क्रमिक स्तर मिले हैं।

मोहनजोदड़ों से प्राप्त अवशेष -

1. विशाल स्नानागार
- सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल 'विशाल स्नानागार' था,
- इस स्नानागार का धार्मिक महत्त्व था। इसके चारों ओर जल भण्डारण हेतु बड़े-बड़े टैंक मिले हैं।
- इसे जॉन मार्शल ने 'तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण' कहा और 'विराट वस्तु' की संज्ञा दी।

2. विशाल अन्नागार
- यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी।

3. पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति
4. काँसे की नर्तकी की मूर्ति
5. तीन मुख वाले एक देवता के अंकन वाली मोहर
- इसके चारों तरफ भैंसा, हाथी, गेंडा, व्याघ्र व नीचले भाग पर 2 हिरण व ऊपरी भाग पर मछली व 10 अक्षरों का अंकन मिलता है।
- जॉन मार्शल ने इसे 'आद्यतम शिव' की उपाधि प्रदान की।

6. सर्वाधिक मोहरें
7. मानव कंकाल के साक्ष्य

लोथल -

- गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के समीप स्थित लोथल, हड़प्पाकालीन सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था।
- इस स्थल की खोज वर्ष 1954 में एस. आर. राव द्वारा की गई थी।
- वर्ष 1955-62 में उनके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया।
- यह एक औद्योगिक नगर था ।
- एस.आर. राव ने इसे 'लघु हड़प्पा/लघु मोहनजोदड़ो' कहा है।
- यह पूरा नगर ही दीवारों से घिरा था। यहाँ के निवासी चावल भी उगाते थे।
- यह सिन्धु सभ्यता का एक प्रमुख गोदीबाड़ा (डॉक यार्ड) बंदरगाह/पत्तन था।
- 4 नाव के साक्ष्य से द. पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार का पता चलता है।
- सम्पूर्ण सैन्धव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल- लोथल का गोदीबाड़ा था। यहाँ से बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल उस समय पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था।

लोथल से प्राप्त अवशेष -

1. विशाल गोदीबाड़ा (डॉक यार्ड)
2. मनके बनाने का कारखाने के साक्ष्य
3. माप-बाट-माप-तौल के लिए पैमाना/हाथी दाँत पैमाना
4. खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य
5. तीन युगल शवाधान (एक साथ दफनाए शव)
- जिनका सिर उत्तर दिशा की तरफ तथा पैर दक्षिण दिशा की तरफ है।

6. अग्निकुंड/अग्निवेदिकाएँ
7. फ़ारस की मोहरें

कालीबंगा –

- कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ 'काले रंग की चूड़ियाँ' होता है।
- कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के साथ-साथ हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।
- कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है।
- इसकी खोज वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी।

भारतीय राजव्यवस्था

1 भारतीय संविधान का निर्माण

संविधान की मांग

- संविधान निर्माण की सर्वप्रथम माँग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ई. में "स्वराज विधेयक" द्वारा की गई।
- वर्ष 1916 में होमरूल लीग आन्दोलन चलाया गया, जिसके माध्यम से अंग्रेजों से घरेलू शासन संचालन की माँग की गई।
- वर्ष 1922 में गाँधीजी ने प्रबलतम तरीके से संविधान सभा और संविधान निर्माण की माँग की।
- **नेहरू रिपोर्ट -** अगस्त, 1928 में पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट (बम्बई) बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट में ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवम् डोमिनियन स्टेट के प्रावधान रखे गए। नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग और रियासतों के राजाओं द्वारा विरोध किया गया।
- वर्ष 1929 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की माँग की गई।
- वर्ष 1934 में मानवेन्द्रनाथ रॉय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन की माँग की।
- वर्ष 1936 में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार चुनी हुई संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की माँग की गई।
- **अगस्त प्रस्ताव -** 1940 में सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की माँग स्वीकार की गई और 'अगस्त प्रस्ताव' भारत भेजा गया। लेकिन कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया।
- **क्रिप्स मिशन -** मार्च, 1942 में दूसरे विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों के उपरान्त क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की माँग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी 'डोमिनियन स्टेट' अवधारणा रखी गई। इसे कांग्रेस, लीग और गाँधीजी ने नामंजूर कर दिया।
- **शिमला सम्मेलन/वेवेल योजना -** भारत में शासन की अव्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून, 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलायी जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुँची। इस सम्मेलन को 'शिमला सम्मेलन' या वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है।
- **कैबिनेट मिशन -** अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता 'सर पैथिक लॉरेन्स' ने की तथा दो अन्य सदस्य सर स्टेफॉर्ड क्रिप्स और ए. वी. अलेक्जेण्डर थे।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन

- कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित एवं अंशतः नामित सदस्यों से होना था।
- सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधायिका से होना था।
- संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निश्चित की गई, इसमें से- 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से व 4 चीफ कमिश्नरी [अजमेर-मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग (कर्नाटक) एवं बलूचिस्तान] एवं 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे।
- ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र 3 भागों में मुस्लिम, सिख और सामान्य के अंतर्गत विभाजित किए गए।
- प्रत्येक समुदाय से चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति का चयन किया गया।
- सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया। औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधि इनके प्रमुख द्वारा नामित किये जाने थे।

संविधान सभा का गठन

- कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई-अगस्त, 1946 में संविधान सभा के 296 सीटों पर चुनाव हुए जिनमें से 208 सीटों पर कांग्रेस, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग एवं 15 सीटों अन्य सदस्यों ने प्राप्त की।
- देशी रियासतों को आवंटित 93 सीटें रिक्त ही रही, क्योंकि देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया।
- नवम्बर, 1946 को वायसराय ने संविधान सभा के गठन की घोषणा की।
- 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुयी ।

संविधान सभा की कार्यवाही

- 9 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया।
- प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित हुए जिनमें 10 महिलाएं शामिल थी।
- प्रथम बैठक में ही आचार्य कृपलानी के प्रस्ताव पर डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- संविधान सभा के उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी (ब्रिटिश भारत के) एवं वी.टी. कृष्णमाचारी (देशी रियासतों के) को बनाया गया।
- संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव एवं सचिव एच.वी.आर. आयंगर बनाए गए।

दल	सीटें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	208
मुस्लिम लीग	73
अनुसूचित जाति फेडरेशन	1
कृषक प्रजा पार्टी	1
यूनियनिस्ट पार्टी	1
यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति	1
यूनियनिस्ट मुस्लिम	1
कम्युनिस्ट पार्टी	1
गैर-कांग्रेसी सिख	1

स्वतंत्र	8
कुल	**296**

समुदाय	सीटें
हिन्दू	163
मुस्लिम	80
अनुसूचित जाति	31
पिछड़ी जनजातियाँ	6
भारतीय ईसाई	6
सिख	4
एंग्लो-इंडियन	3
पारसी	3
कुल	**296**

विभाजन के पश्चात् संविधान सभा के सीटों की स्थिति-

प्रांत	सीटें
भारतीय प्रांत	229
देशी रियासतें	70
कुल	**299**

उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution)

- 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
- संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया।
- उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लेख था कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य है।
- संप्रभु एवं स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियाँ सत्ता का स्रोत भारत की जनता है।
- भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर एवं कानून के समक्ष समता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए वाक्, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा दी जाएगी।

संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी जो निम्न है-

- 1. सरोजिनी नायडू
  2. सुचेता कृपलानी
  3. राजकुमारी अमृता कौर
  4. विजयलक्ष्मी पंडित
  5. हंसा मेहता
  6. दुर्गाबाई देशमुख
  7. रेणुका रे
  8. कमला चौधरी
  9. दक्षिणायनी वेलायुदन
  10. मालती चौधरी
  11. पूर्णिमा बनर्जी
  12. एनी मस्करीन (मनोनीत)
  13. अम्मू स्वामीनाथन
  14. लीला रॉय
  15. बेगम एजाज रसूल (मुस्लिम सदस्य)

संविधान सभा की समितियाँ

- संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित कई समितियों का गठन किया।
- इनमें से 8 बड़ी समितियाँ थीं तथा अन्य छोटी।

समितियाँ के अध्यक्ष -

- 1. संघ शक्ति समिति - जवाहरलाल नेहरू।
  2. संघीय संविधान समिति - जवाहरलाल नेहरू।
  3. प्रांतीय संविधान समिति - सरदार पटेल।
  4. प्रारूप समिति - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर।
  5. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति – सरदार पटेल। इसमें दो उप समितियाँ थी-
  a. मौलिक अधिकार उप समिति - जे.बी. कृपलानी।
  b. अल्पसंख्यक उप समिति – एच.सी. मुखर्जी।
  6. प्रक्रिया नियम समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
  7. राज्यों के लिये समिति (राज्यों से समझौता करने वाली) - जवाहर लाल नेहरू।
  8. संचालन समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।

छोटी समितियाँ -

- 1. संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति - जी.वी. मावलंकर।
  2. कार्य संचालन समिति - डॉ. के.एम. मुंशी।
  3. सदन समिति - बी. पट्टाभिसीतारमैय्या।
  4. राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।
  5. प्रारूप संविधान की जाँच करने वाली समिति – जवाहर लाल नेहरू।
  6. वित्त एवं स्टाफ समिति – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद।

प्रारूप समिति (Drafting Committee) -

- इस समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ था।
- 30 अगस्त, 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई एवं इसी बैठक में डॉ. बी.आर. अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया।
- इस समिति में सात सदस्य थे-
  1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर (अध्यक्ष)
  2. एन. गोपाल स्वामी आयंगर।
  3. अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर।
  4. डॉ. के.एम. मुंशी।
  5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला।
  6. एन. माधव राव (बी.एल. मित्र के त्याग-पत्र के पश्चात्)
  7. टी.टी. कृष्णामाचारी (डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात्)

भारतीय संविधान सभा ने दो प्रकार से कार्य किया-

(1) जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाता तो इसकी अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद करते थे।

(2) जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा की जाती थी।

- संविधान पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाला पहले व्यक्ति जवाहर लाल नेहरू थे।
- राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे।

भारत का भूगोल

1 स्थिति एवं विस्तार

भारत की स्थिति एवं विस्तार

- भारत के उत्तर – पूर्व में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किमी. तथा 1269219.34 वर्ग मील है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है।
- भारतीय भू– भाग की लंबाई 3214 किमी. (उत्तर से दक्षिण) और 2933 किमी. (पूर्व से पश्चिम) है। इनके बीच का अन्तर 281 किमी. है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश – 1. रूस 2. कनाडा 3. चीन 4. संयुक्त राज्य अमेरिका 5. ब्राजील 6. ऑस्ट्रेलिया 7. भारत 8. अर्जेंटीना।

स्थिति–

- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4′ उत्तरी अक्षांश से 37°6′ उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है।
- भारत का देशांतरीय विस्तार 68°7′ पूर्वी देशांतर से 97°25′ पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है।
- अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित है।
- भारत का दक्षिणतम बिन्दु 6°45′ उत्तरी अक्षांश है तथा यह इंदिरा पॉइंट अण्डमान निकोबार में स्थित है।
- इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिन्दु गिलगित (जम्मू कश्मीर) में स्थित है।
- कन्याकुमारी/केप केमोरिन भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिन्दु है जो तमिलनाडु में स्थित है।
- कर्क रेखा का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबन्ध में तथा उत्तरी भाग उपोष्ण/शीतोष्ण कटिबन्ध में स्थित है।
- भारत का पूर्वी बिन्दु किबिथू वालांगु (त्वांग) है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
- भारत का पश्चिमी बिन्दु गोहरमाता (गौरमाता) है जो कच्छ (गुजरात) में स्थित है।

कर्क रेखा (उत्तरी अक्षांश)-

- कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है।
- कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है।
- कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है।
- कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है।
- कर्क रेखा के नजदीक गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला शहर स्थित है।

मानक समय निर्धारक रेखा–

- भारत की मानक समय निर्धारक रेखा 82°30′ ($82\frac{1}{2}$) पूर्वी देशान्तर रेखा को कहा जाता है।
- 82°30′ पूर्वी देशान्तर रेखा नैनी कस्बा (मिर्जापुर), प्रयागराज उत्तर प्रदेश में से गुजरती है।
- 82°30′ पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं।
- भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।

भारत की सीमाएँ –

- **स्थलीय सीमा –** भारत की स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है।
- **तटीय सीमा –** मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लम्बाई 6,100 किमी. है। अंडमान–निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों की तट रेखा को भी शामिल किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किमी. है।
- भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा को मिलाकर कुल लंबाई 22,716.6 किमी. है।
- सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य – गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है।
- न्यूनतम तटीय सीमा वाले राज्य – गोवा, कर्नाटक है।

भारत की जलीय सीमा-

- हिन्द महासागर में भारत की केन्द्रीय स्तिथि है।
- देश की जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है–

  (i) प्रादेशिक जल सीमा – आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक (12 नॉटिकल) तक भारत का संपूर्ण अधिकार है।

  आधार रेखा टेढ़े–मेढ़े तट को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है जिसके मध्य के सागरीय जल को आन्तरिक जल कहते हैं।

  (ii) संलग्न क्षेत्र – अविच्छिन्न मण्डल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील (1 समुद्री मील = 1.8 किमी.) तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है।

  (iii) अनन्य आर्थिक क्षेत्र – यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है। इसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों की खोज व निर्माण तथा वैज्ञानिक संसाधनों के दोहन का अधिकार प्राप्त है।

अंतर्राष्ट्रीय सीमा–

- इस विशाल देश के तीन ओर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर है।
- भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है जो मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग है।

रेडक्लिफ सीमा–

- इस सीमा की लंबाई 3323 किमी. है।
- अंग्रेज अधिकारी सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा भारत–पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया था। इस सीमा को रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है।

मैकमोहन रेखा–

- इस सीमा की लंबाई – 3488 किमी. है।
- सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 1914 में किया गया, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता हैं।

डूरण्ड रेखा–

- इस सीमा की लंबाई 106 किमी. है ।
- सर मोर्टिसुर डूरण्ड द्वारा एक भारत तथा अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई, जिसे डूरण्ड रेखा के नाम से जाना जाता है।
- वर्ष 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद डूरण्ड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बन गई।

भारत–म्यांमार सीमा –

- इस सीमा की लंबाई 1643 किमी. है।
- अराकान योमा पर्वतमाला भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा बनाती है।
- भारत – म्यांमार सीमा का निर्धारण पटकोई, नागा, मिसीपी और अराकानयोमा की पहाड़ियों से होता है।
- पूर्वोत्तर राज्य (सात बहनों के नाम से विख्यात राज्य) – अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम।
- सिक्किम व मेघालय की सीमा केवल एक – एक राज्य से लगती है। सिक्किम की सीमा पश्चिम बंगाल से तथा मेघालय की सीमा असम से लगती है।
- तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है।
- सिक्किम तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है।

देश की सीमा पर स्थित राज्य इस प्रकार से है–

1.बांग्लादेश के साथ कुल सीमा 4096.7 किमी. है, इस सीमा पर पश्चिम बंगाल (सर्वाधिक), असम (न्यूनतम), मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य स्थित है।

2. चीन के साथ कुल सीमा 3488 किमी. है, इस सीमा पर लद्दाख, (सर्वाधिक), हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम (न्यूनतम), अरुणाचल प्रदेश राज्य स्थित है।

3. पाकिस्तान के साथ कुल सीमा 3323 किमी. है, इस सीमा पर जम्मू और कश्मीर व लद्दाख (सर्वाधिक), पंजाब (न्यूनतम), राजस्थान, गुजरात राज्य स्थित है।

4. अफगानिस्तान के साथ कुल सीमा 106 किमी. है, लद्दाख इस सीमा पर स्थित है।

5. नेपाल के साथ कुल सीमा 1751 किमी. है, उत्तर प्रदेश (सर्वाधिक), प. बंगाल (न्यूनतम), उत्तराखण्ड, बिहार, सिक्किम इस सीमा पर स्थित है।

6. म्यांमार के साथ कुल सीमा 1643 किमी. है, अरुणाचल प्रदेश (सर्वाधिक), नागालैण्ड (न्यूनतम), मणिपुर, मिजोरम इस सीमा पर स्थित है।

7. भूटान के साथ कुल सीमा 699 किमी. है, असम (सर्वाधिक), सिक्किम (न्यूनतम), अरुणाचल प्रदेश, पं. बंगाल इस सीमा पर स्थित है।

भारत की जलीय सीमा–

- **9° चैनल –** मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य सीमा निर्धारण करता है।
- **10° चैनल –** अण्डमान (लिटिल अण्डमान) एवं निकोबार (कार निकोबार) के मध्य सीमा निर्धारण करता है।
- **6° चैनल (ग्रेट चैनल) –** सुमात्रा (इण्डोनेशिया) तथा ग्रेट निकोबार (अण्डमान निकोबार भारत) के मध्य सीमा निर्धारण करता है।
- **8° चैनल –** मालदीव एवं मिनाकॉय (लक्षद्वीप) के मध्य सीमा निर्धारण करता है।
- **16° उत्तरी अक्षांश रेखा–** यह सह्याद्रि पर्वतमाला को दो बराबर भागों में बाँटती है।
- **24° उत्तरी अक्षांश रेखा –** यहाँ पर भारत व पाकिस्तान के मध्य सरक्रीक सीमा विवाद है।
- **डक्कन पास –** लघु अण्डमान एवं दक्षिण अण्डमान के मध्य सीमा निर्धारण करता है।
- **कोको चैनल –** लैंडफॉल द्वीप (उत्तरी अण्डमान) एवं कोको द्वीप (म्यांमार) के मध्य।

पाक जल संधि –

- यह भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है।
- भारत के तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुष्कोडी नामक स्थान से होती है। पम्बन द्वीप (रामेश्वरम्) इसी ब्रिज का हिस्सा है, इसे रामसेतु भी कहा जाता है।

मन्नार की खाड़ी–

- (तमिलनाडु)– यह दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है।

भारत के राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश –

- वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केन्द्रशासित प्रदेश है।
- जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है।
- कच्छ (गुजरात) भारत का सबसे बड़ा जिला तथा माहे (पुडुचेरी) भारत का सबसे छोटा जिला है।
- जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी भारत के केवल तीन केन्द्र शासित प्रदेश ऐसे है, जिनमें विधानसभा है।
- उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों (छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड) की सीमा को स्पर्श करता है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत अवस्थित है-

(a) अक्षांश 8°4' उ. से 37°6' द. तथा देशांतर 68°7' पू. से 97°25' प. के मध्य
(b) अक्षांश 8°4' द. से 37°6' उ. तथा देशांतर 68°7' प. से 97°25' पू. के मध्य
(c) अक्षांश 8°4' उ. से 37°6' उ. तथा देशांतर 68°07' पू. से 97°25' पू. के मध्य
(d) अक्षांश 8°4' द. से 37°6' द. तथा देशांतर 68°7' प. से 97°25' प. के मध्य

2. निम्नलिखित देशांतरों में कौन-सी भारत की "प्रामाणिक मध्याह्न रेखा' कहलाती है?

(a) 85°30' पूर्वी (b) 87°30 पूर्वी
(c) 84°50' पूर्वी (d) 82°30° पूर्वी

वर्दी का सपना, अब होगा अपना

लक्ष्य क्लासेज उदयपुर

राजस्थान पुलिस

कॉन्स्टेबल

सिंघम बैच

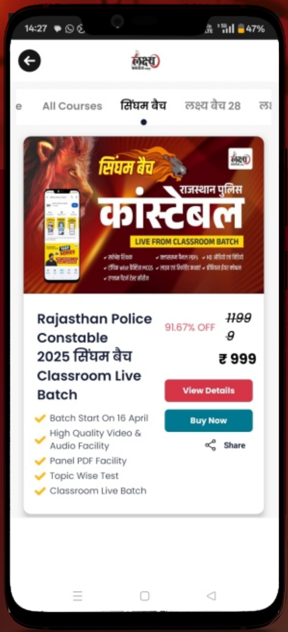

ऑफलाइन	ऑनलाइन
₹ 7100/-	₹ 999/-

LAUNCHED BOOKS

INSTAGRAM FACEBOOK YOUTUBE TELEGRAM

CODE : LCGC

सफलता के पथ पर सबसे तेज उभरता हुआ संस्थान

लक्ष्य क्लासेज™

M. 9079798005, 6376491126

Plot No 1104, Shiksha Mandir, Sec 4, Circle, Main Road, Udaipur